"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 अगस्त 2014—श्रावण 17, शक 1936

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2014

क्रमांक एफ 2-1/2014/एक-8.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एम. के. त्यागी, सेवानिवृत्त (भा.प्र.से.-1997), संविदा पर नियुक्त सदस्य-सह-सचिव, छ.ग. राज्य योजना आयोग/सचिव, जनसंपर्क एवं सचिव, मुख्यमंत्री से सचिव, जनसंपर्क का प्रभार वापस लेते हुए, संचालक, छ.ग. राज्य प्रशासन अकादमी के पद पर पदस्थ करता है साथ ही सचिव, मुख्यमंत्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढांड, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

नया रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2014

क्रमांक एफ 7-22/2014/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन द्वारा श्री रतन लाल डांगी (भापुसे) सेनानी, 4थीं वाहिनी, छसबल, माना, रायपुर को दिनांक 14-07-2014 से दिनांक 18-07-2014 (5 दिवस) तक अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 12, 13, 19 एवं 20-07-2014 के राजपत्रित अवकाश की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री डांगी आगामी आदेश तक सेनानी, 4थीं वाहिनी, छसबल, माना, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री डांगी को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रतन लाल डांगी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री रतन लाल डांगी के उक्त अवकाश अवधि में सेनानी, 4थीं वाहिनी, छसबल, माना, रायपुर का चालू कार्य श्री सुशील डेविड, उपसेनानी, 4थीं वाहिनी, छसबल, माना, रायपुर को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुंद गजभिये, अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2014

क्रमांक एफ 1-51/2013/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन द्वारा श्रीमती पारूल माथुर (भापुसे), पुलिस अधीक्षक, जिला-बेमेतरा को दिनांक 23-07-2014 से दिनांक 30-07-2014 (08 दिवस) तक अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती माथुर आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, जिला-बेमेतरा के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती माथुर को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पारूल माथुर अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

5. श्रीमती पारूल माथुर के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, जिला-बेमेतरा का चालू कार्य श्री आनंद छाबड़ा, पुलिस अधीक्षक, जिला-दुर्ग, को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2014

क्रमांक एफ 7-17/2014/एक-14/भापुसे.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 29-05-2014 द्वारा श्री नरेन्द्र खरे, पुलिस अधीक्षक, दन्तेवाड़ा एवं सेनानी, 9वीं वाहिनी छसबल, दन्तेवाड़ा (अति. प्रभार) छत्तीसगढ़ को दिनांक 02-06-2014 से 12-06-2014 (11 दिवस) तक अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. शासनादेश दिनांक 06-06-2014 द्वारा उनका स्थानांतरण पुलिस अधीक्षक, दन्तेवाड़ा से सेनानी, 7वीं वाहिनी छसबल, भिलाई होने के फलस्वरूप श्री खरे द्वारा उक्त अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण उक्त स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. सोनी, अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2014

क्रमांक 412/485/अव./2010/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 299/86/अव./2014/1-8/स्था., दिनांक 27-03-2014 द्वारा श्री बी. एल. सोनी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का दिनांक 05-05-2014 से 31-05-2014 तक 27 दिवस स्वीकृत किये गये अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 01-06-2014 से 02-06-2014 तक 02 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. उक्त विभागीय आदेश दिनांक 27-03-2014 के पैरा-2, 3 एवं 4 यथावत् लागू होंगे.

नया रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2014

क्रमांक 414/224/अव./2010/1-8/स्था.—श्री पुनीत कुमार जोशी, अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय को दिनांक 17-06-2014 से 20-06-2014 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 21, 22-06-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पुनीत कुमार जोशी आगामी आदेश तक अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री पुनीत कुमार जोशी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुनीत कुमार जोशी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2014

क्रमांक 416/74/अव./2014/1-8/स्था.—श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा, विशेष सहायक मान. मंत्रीजी, गृह, जेल एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 13, 14, 20, 21-07-2013 एवं 09, 10, 11-08-2013 तथा 14, 15, 21, 22-09-2013, 24-11-2013, 01-12-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है :—

लघुकृत अवकाश	दिनांक 15-07-2013 से 19-07-2013 तक	05 दिवस
लघुकृत अवकाश	दिनांक 25-07-2013 से 08-08-2013 तक	15 दिवस
अर्जित अवकाश	दिनांक 11-09-2013 से 13-09-2013 तक	03 दिवस
अर्जित अवकाश	दिनांक 19-09-2013 से 20-09-2013 तक	02 दिवस
अर्जित अवकाश	दिनांक 25-11-2013 से 30-11-2013 तक	06 दिवस

2. अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा आगामी आदेश तक विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, गृह, जेल एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2014

क्रमांक एफ 9-5/2013/1-8.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19-02-2014 द्वारा श्री एस. के. चक्रवर्ती (से.नि.) राज्य वित्त सेवा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम-2012 के नियम 5 (3) सहपठित नियम-8(ख) (ग) के प्रावधानों के अन्तर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से संयुक्त सचिव, वित्त विभाग पदस्थ किया गया है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त नियमों में आंशिक संशोधन करते हुए श्री चक्रवर्ती को अब छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम-2012 के नियम 4 (4) एवं 5 (3) के अन्तर्गत वित्त विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर संविदा नियुक्ति पर पदस्थ करता है.

नया रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2014

क्रमांक एफ 14-1/2012/1-8.—राज्य शासन, एतद्द्वारा डॉ. अनिल चौधरी (प्राध्यापक), उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव के पद पर पदस्थ किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 9 जुलाई 2014

क्रमांक 468/808/अव./2011/1-8/स्था.—श्री आर. सी. लेवे, अवर सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को दिनांक 16-06-2014 से 28-06-2014 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 14, 15, 29-06-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. लेवे आगामी आदेश तक अवर सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री आर. सी. लेवे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. सी. लेवे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2014

क्रमांक 1495/1583/2014/1-8.—इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2-04/2007/1-8 (पार्ट) दिनांक 19-10-2011 द्वारा डॉ. बी. के. अग्रवाल, अतिरिक्त सचिव (संविदा) संसदीय कार्य विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा अब डॉ. बी. के. अग्रवाल को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, अतिरिक्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, पदस्थ करते हुए, संसदीय कार्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

नया रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2014

क्रमांक 470/624/अव./2010/1-8/स्था.—श्री एल. डी. चोपड़े, अवर सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 16-06-2014 से 28-06-2014 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 14, 15, 29-06-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एल. डी. चोपड़े आगामी आदेश तक अवर सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एल. डी. चोपड़े को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एल. डी. चोपड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2014

क्रमांक 506/636/अव./2014/1-8/स्था.—श्री डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को दिनांक 21-07-2014 से 31-07-2014 तक 11 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 19, 20-07-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री डी. डी. कुंजाम आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री डी. डी. कुंजाम को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. डी. कुंजाम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2014

क्रमांक 508/113/अव./2003/1-8/स्था.—श्री जी. आर. मालवीय, उप सचिव, श्रम विभाग को दिनांक 23-06-2014 से 05-07-2014 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 21, 22-06-2014 एवं 06-07-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जी. आर. मालवीय आगामी आदेश तक उप सचिव, श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री जी. आर. मालवीय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. आर. मालवीय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2014

क्रमांक 512/382/अव./2010/1-8/स्था.—श्री जेवियर केरकेट्टा, अवर सचिव, महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग को दिनांक 19-05-2014 से 12-06-2014 तक 25 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 17, 18-05-2014 एवं 13, 14, 15-06-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जेवियर केरकेट्टा आगामी आदेश तक अवर सचिव, महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री जेवियर केरकेट्टा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जेवियर केरकेट्टा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2014

क्रमांक एफ 2-3/2014/1-8.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री आर. बी. तिवारी, संयुक्त संचालक, संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ रायपुर की सेवाएं सामान्य प्रशासन विभाग में लेते हुए, उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक मुख्यमंत्री सचिवालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर पदस्थ करता है.

नया रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2014

क्रमांक एफ 9-6/2006/1-8.—राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. अनिल चौधरी (प्राध्यापक), उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय की सेवाएं उच्च शिक्षा विभाग को लौटाई जाने बाबत् इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31-01-2012 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2014

क्रमांक एफ 10-7/2014/16.—अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 (क्रमांक 30 वर्ष 1979) की धारा 03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को उन्हें आवंटित जनपद पंचायत सीमा क्षेत्र के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु पंजीयन अधिकारी नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2014

क्रमांक एफ 8-1/2013/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार, रायगढ़ के बायलर क्रमांक-सी.जी./248 को दिनांक 26-07-2014 से 30-09-2014 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 जून 2014

क्रमांक 4625/377/22/वि-3/ग्रा.यां.सेवा/2013.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ ग्रामीण यांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा में भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ ग्रामीण यांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2014 कहलायेंगे।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है सेवा में नियुक्ति के लिये शासन द्वारा नामांकित प्राधिकारी;

(ख) **"आयोग"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;

(ग) **"परीक्षा"** से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा;

(घ) **"शासन"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(ङ) **"राज्यपाल"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(च) **"अन्य पिछड़े वर्ग"** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्र. एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(छ) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ज) **"अनुसूचित जाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(झ) **"अनुसूचित जनजाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ञ) **"चयन समिति"** से अभिप्रेत है सीधी भर्ती के लिये शासन द्वारा अनुमोदित समिति;

(ट) **"सेवा"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ ग्रामीण यांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा;

(ठ) **"राज्य"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय, अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न हैसियत से धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या एवं वेतनमान में, समय—समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. **भर्ती का तरीका.**— (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात्:—

(क) प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अथवा मेरिट एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल या स्थानापन्न हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप—नियम (1) के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची—एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची—दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को

भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा, आयोग के परामर्श से अवधारित की जायेगी।

(4) उप–नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह, आयोग के परामर्श पश्चात्, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा इस अधिनियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश (यथा संशोधित) भी लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.**– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.**– सीधी भर्ती/चयन हेतु पात्र होने के लिये, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:–

(एक) आयु– (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित हों, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के

लिये भी, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(घ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ के स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो और किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण— शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ङ.) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 (छः) माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 (तीन) वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफरिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो:–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(तीन) ऐसे भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी हो जाने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है);

(चार) अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी;

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(च) उन अभ्यर्थियों के लिए भी, जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारण करते हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 2 (दो) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन छत्तीसगढ अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 38 (अड़तीस) वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमीशण्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा पूर्व में इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 (आठ) वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

टीप–(1) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपरोक्त नियम 8 (घ) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित रियायतों के अधीन, परीक्षा/चयन में प्रवेश

दिया गया हो, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात्, सेवा से त्याग-पत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमा शिथिल नहीं की जाएंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(ट) उपरोक्त संवर्गों के किसी एक या अधिक आधार पर छूट दिए जाने के उपरान्त, शासकीय सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी;

(ठ) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(दो) **शैक्षणिक अर्हताएं.**- अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव होना चाहिए जैसा कि अनुसूची-तीन में दर्शित है।

(तीन) शुल्क.- (क) अभ्यर्थी को आयोग द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

(ख) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होने के लिये अपेक्षित किया गया हो, को स्वास्थ्य परीक्षा होने के पूर्व चिकित्सा मण्डल के अध्यक्ष को शासन द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता.**- (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा चयन के लिए निरर्हित माना जा सकेगा।

(2) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो कि विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष, जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकते हों से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ्य पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि आवश्यक समझे, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद के लिए निरर्हित नहीं होगा।

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा.**– (1) चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया हो, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(2) चयन प्रक्रिया के किसी भी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, आयोग द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

11. **प्रतियोगिता परीक्षा/चयन/साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती.**– (1) सेवा में भर्ती के लिये चयन, ऐसे अन्तरालों से किया जायेगा, जैसा कि शासन, आयोग के परामर्श से समय–समय पर, अवधारित करे।

(2) प्रतियोगिता परीक्षा, आयोग द्वारा पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना तथा शासन द्वारा आयोग के परामर्श से समय समय पर जारी निर्देश के अनुसार आयोजित की जायेगी।

(3) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाये।

(4) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंध तथा इस अधिनियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(5) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंध के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जायेंगे। आरक्षण समस्तर और प्रभागवार होगा।

(6) उपरोक्त के अतिरिक्त, निःशक्त/भूतपूर्व सैनिक के लिये पद, शासन द्वारा समय-समय पर बनाये गये अधिनियम/नियम/ जारी आदेश/निर्देश के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा।

(7) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(8) उपरोक्त के अतिरिक्त, उन अभ्यर्थियों, जो महिला/निःशक्त व्यक्ति/भूतपूर्व सैनिक हैं तथा जो आरक्षण के परिणामस्वरूप चयनित किये गये हैं, की नियुक्ति के लिए उसी कम में विचार किया जायेगा जिस कम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(9) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को दृष्टिगत रखते हुए, नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा पात्र घोषित किया गया हो, उप-नियम (7) के अनुसार, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(10) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और शासन की राय में यह पाया जाए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों की, पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के अभ्यर्थियों के लिये अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

12. **आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची.**– (1) आयोग, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों जैसा कि चयन समिति द्वारा

अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों तथा महिला, निःशक्त व्यक्ति/भूतपूर्व सैनिक से संबंधित प्रत्येक प्रवर्ग के अभ्यर्थियों, जो आरक्षण के फलस्वरूप ऐसे स्तर से अर्हित हों, उनके (उन अभ्यर्थियों के) मेरिट क्रम में सूची, तैयार करेगा एवं नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा, जिसकी वैधता, शासन को नियुक्ति हेतु सूची के भेजे जाने की तारीख से एक वर्ष की होगी।

(2) उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये आयोग की वेबसाइट पर अधिसूचित की जायेगी।

(3) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु समिति द्वारा प्रत्येक प्रवर्ग के लिये एक चयन सूची तैयार की जायेगी, ऐसे प्रवर्ग के लिये एक प्रतिक्षा सूची भी तैयार की जायेगी, जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा रिक्त पदों के अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे। इस सूची की वैधता, इस प्रकार चयन सूची जारी किये जाने की तारीख से डेढ़ वर्ष की होगी।

स्पष्टीकरण- प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्त पदों के 25% आंकलन के लिए, इसे पूर्णांक में लाने हेतु, अंक को अगले पूर्णांक तक बढ़ा दिया जायेगा।

(4) आयोग, उप-नियम (1) के अधीन तैयार की गई चयन सूची, नियुक्ति के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु शासन को अग्रेषित करेगा।

(5) इस नियम तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी कम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(6) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि आयोग का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये, कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(7) कोई अभ्यर्थी, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, वैधता अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने, त्यागपत्र देने या किन्हीं कारणों से योग्य न पाये जाने पर या वैधता अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर, आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु अनुशंसित किये जा सकेंगे।

(8) यदि प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम भेजे जाने के लिये शासन से अनुरोध प्राप्त होता है, तो आयोग, उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, प्रतीक्षा सूची से नाम अनुशंसित करेगा तथा इसे शासन को भेजेगा।

(9) आयोग, शासन से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात्, शासन को विधिमान्य कारण दर्शाते हुए, अधिकतम 6 माह की कालावधि के लिए चयन सूची की वैधता अवधि में वृद्धि कर सकेगा।

(10) चयन सूची की वैधता अवधि में 6 माह की वृद्धि हो जाने पर, प्रतिक्षा सूची की वैधता अवधि में 6 माह की स्वतः वृद्धि हुआ माना जायेगा।

(11) उप–नियम (8) एवं (9) के अधीन तैयार की गई चयन सूची की वैधता अवधि में, आयोग द्वारा तब तक कोई वृद्धि नहीं की जाएगी, जब तक कि शासन, वृद्धि हेतु विधिमान्य कारण दर्शाते हुए कोई सिफारिश नहीं करता।

13. **परिवीक्षा.–** (1) सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(2) यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।

(3) परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु योग्य नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.–** (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:

परन्तु इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः 1 (एक) वर्ष से अधिक न हो।

(3) प्रत्येक पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार तथा मॉडल रोस्टर के अनुसार की जायेगी।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रकिया, उप–नियम (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुप्रमाणन– नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

15. **पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें.–** (1) उप–नियम (2) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिनसे पदोन्नति की जानी है, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट है अथवा शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में), उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण.– पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति– संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) (एक) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति, वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर अथवा अनुपयुक्त अभ्यर्थी को छोड़कर वरिष्ठता के आधार

पर की जानी हो, वहां सभी वर्गों के लिये विचारण हेतु कोई आधार नहीं होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो कि प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान पद तथा 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

(दो) ऐसे मामलों में, जहां पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियारिटी) के आधार पर की जानी हो, वहां विचारण के लिए क्षेत्र, कुल रिक्त पदों के दो गुने से चार अधिक होगा। यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शासकीय सेवकों की पर्याप्त संख्या, पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो, तो विचारण के क्षेत्र में कुल रिक्त पदों की संख्या के 7 गुने तक वृद्धि की जा सकेगी तथा आरक्षित पदों की पूर्ति, उपरोक्त उल्लिखित विचारण क्षेत्र में आये आरक्षित संवर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी। समिति, उक्त विचारण क्षेत्र से प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी।

(3) उप-नियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त उक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, उनके नाम सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा।

(4) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अन्य प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश, पदोन्नति के लिये लागू होंगे।

16. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.-** (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपरोक्त नियम 14 एवं 15 में विहित शर्तो को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त, उक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के

लिये एक आरक्षित सूची तैयार की जायेगी, जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग से एक एवं अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे।

(2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।

(3) इस प्रकार तैयार की गई सूची प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षित एवं पुनर्विलोकित की जायेगी।

(4) चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में, यदि सेवा के किसी सदस्य, यथास्थिति, का अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित हो, तो समिति, प्रस्तावित अवक्रमण के लिये अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी।

17. **आयोग से परामर्श.**– (1) नियम 16 के अनुसार तैयार की गई सूची, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आयोग को भेजी जायेंगी:–

(एक) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख।

(दो) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित समस्त ऐसे व्यक्तियों के अभिलेख, जिनका सूची में यथा अनुशंसित अवक्रमण प्रस्तावित हैं।

(तीन) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित सेवा के किसी सदस्य के प्रस्तावित अवक्रमण हेतु समिति के लेखबद्ध कारण।

(चार) समिति की अनुशंसाओं पर शासन की टिप्पणियां।

(2) यदि पदोन्नति समिति में, आयोग के अध्यक्ष या कोई सदस्य, जिसे अध्यक्ष/आयोग द्वारा नामांकित किया गया हो, उपस्थित रहे हों तथा यदि बैठक की कार्यवाही विवरण पर अध्यक्ष सहित समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हों, तो उप–नियम (1) के अधीन उपरोक्त कार्यवाही अपेक्षित नहीं होगी तथा यह माना जायेगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उप–खंड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श संबंधी अपेक्षा का अनुपालन किया गया है तथा आयोग से पृथक परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।

18. **चयन सूची.**– (1) आयोग, शासन से प्राप्त हुए दस्तावेजों के साथ–साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा, यदि उसे प्रतीत होता है कि इसमें कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है, तो वह सूची को अनुमोदित करेगा।

(2) यदि आयोग, शासन से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे, तो आयोग, प्रस्तावित परिवर्तन से शासन को सूचित करेगा तथा यदि शासन, विचार करने

के पश्चात्, कोई मत प्रकट करे, तो ऐसे उपान्तरणों सहित, यदि कोई हो, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सूची को अनुमोदित करेगा।

(3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित चयन सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा उल्लिखित पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए अनुमोदित चयन सूची होगी।

(4) चयन सूची साधारणतः इसके तैयार किये जाने तारीख से कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक विधिमान्य रहेगीः

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, शासन के अनुरोध पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि आयोग उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

19. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**– (1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा–संवर्ग के पदों पर नियुक्तियों में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आये हों।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो शासन की राय में सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

20. **परिवीक्षा.**– सेवा में पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

21. **निर्वचन.**– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

22. **शिथिलीकरण.**– इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती हैः

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

23. **निरसन एवं व्यावृत्ति.**—(1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इस नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिखा राजपूत तिवारी, उप-सचिव.

अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिये)

स. क्र. (1)	सेवा में सम्मिलित पद का नाम (2)	पदों की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान (5)	टिप्पणियां (6)
1.	मुख्य अभियंता	4	प्रथम श्रेणी	37400-67000+ ग्रेड वेतन 8900	
2.	अधीक्षण अभियंता	19	प्रथम श्रेणी	15600-39100+ ग्रेड वेतन 7600	
3.	कार्यपालन अभियंता (सिविल)	85	प्रथम श्रेणी	15600-39100+ ग्रेड वेतन 6600	
4.	कार्यपालन अभियंता (विद्युत)	1	प्रथम श्रेणी	15600-39100+ ग्रेड वेतन 6600	
5.	सहायक अभियंता (सिविल)	348	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+ ग्रेड वेतन 5400	
6.	सहायक अभियंता (विद्युत)	4	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+ ग्रेड वेतन 5400	
7.	वित्तीय नियंत्रक	1	प्रथम श्रेणी	15600-39100+ ग्रेड वेतन 7600	
8.	लेखा अधिकारी	53	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+ ग्रेड वेतन 5400	
9.	प्रोग्रामर	1	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+ ग्रेड वेतन 5400	

अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिये)

स. क्र.	सेवा या पद का नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6 (1) (क) देखिये)	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (1) (ख) देखिये)	अन्य सेवाओं से सदस्यों के अस्थाई स्थानान्तरण द्वारा (नियम 6 (1) (ग) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	मुख्य अभियंता	4	–	100%	पदोन्नति हेतु उपयुक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता की स्थिति में	
2.	अधीक्षण अभियंता	19	–	100%	पदोन्नति हेतु उपयुक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता की स्थिति में	
3.	कार्यपालन अभियंता (सिविल)	85	–	100%	पदोन्नति हेतु उपयुक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता की स्थिति में	
4.	कार्यपालन अभियंता (विद्युत)	1	–	100%	पदोन्नति हेतु उपयुक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता की स्थिति में	
5.	सहायक अभियंता (सिविल)	348	27%	73% (70 प्रतिशत उप–अभियंताओं में से एवं 3 प्रतिशत मानचित्रकार में से)	पदोन्नति हेतु उपयुक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता की स्थिति में	
6.	सहायक अभियंता (विद्युत)	4	27%	73% (70 प्रतिशत उप–अभियंताओं	पदोन्नति हेतु उपयुक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता	

				में से एवं 3 प्रतिशत मानचित्रकार में से)	की स्थिति में	
7.	वित्तीय नियंत्रक	1	—	—	वित्त विभाग से	
8.	लेखा अधिकारी	53	—	—	वित्त विभाग से	
9.	प्रोग्रामर	1	100%	—	—	

अनुसूची—तीन

(नियम 8 देखिये)

स. क्र.	सेवा या पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सहायक अभियंता (सिविल)	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिकी में उपाधि या उसके समकक्ष।
2.	सहायक अभियंता (विद्युत)	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत अभियांत्रिकी में उपाधि या उसके समकक्ष।
3.	प्रोग्रामर	21 वर्ष	30 वर्ष	एम.सी.ए. अथवा बी.ई./बी.टेक. (कम्प्यूटर साईस/इन्फारमेशन टेक्नालॉजी/ इलेक्ट्रानिक्स टेलिकम्यूनिकेशन) **टीप:—** एम.सी.ए. उपाधि धारक अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।

टीप:— ऐसे अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक स्थानीय निवासी हैं, के लिए उच्चतर आयु सीमा, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश के अनुसार शिथिलनीय होगी।

अनुसूची–चार

(नियम 14 एवं 15 देखिये)

<table>
<tr><th>स. क्र.</th><th>पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है</th><th>न्यूनतम अनुभव</th><th>पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है</th><th>विभागीय पदोन्नति समिति</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>अधीक्षण अभियंता</td><td>5 वर्ष</td><td>मुख्य अभियंता</td><td>मुख्य सचिव – अध्यक्ष
विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव – सदस्य</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>कार्यपालन अभियंता</td><td>5 वर्ष</td><td>अधीक्षण अभियंता</td><td rowspan="4">लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामनिर्देशित सदस्य – अध्यक्ष
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव – सदस्य
संयुक्त सचिव/उप सचिव – सदस्य
मुख्य अभियंता (ग्रायांसे) – सदस्य।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>सहायक अभियंता</td><td>6 वर्ष</td><td>कार्यपालन अभियंता</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>उप–अभियंता</td><td>10 वर्ष</td><td>सहायक अभियंता</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>मानचित्रकार</td><td>10 वर्ष</td><td>सहायक अभियंता</td></tr>
</table>

Raipur, the 27th June 2014

No. 4625/377/22/वि-3/ग्रा.यां.सेवा/2013.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment and conditions of service of the Chhattisgarh Rural Engineering (Gazetted) Service, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Chhattisgarh Rural Engineering (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2014.

(2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**-In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Appointing Authority" means authority nominated by the Government to make appointment to the services;

(b) "Commission" means the Chhattisgarh Public Service Commission;

(c) "Examination" means the competitive examination held for recruitment to the services under Rule 11 of these rules;

(d) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

(e) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;

(f) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;

(g) "Schedule" means Schedule appended to these rules;

(h) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

(i) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(j) "Selection Committee" means the Committee approved by the Government for direct recruitment;

(k) "Services" means the Chhattisgarh Rural Engineering (Gazetted) Services;

(l) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and application.-** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of the service.-** The Service shall consist of the following persons, namely :-

(1) Persons, who at the time of commencement of these rules are holding substantively or in an officiating capacity the posts specified in the Schedule – I;

(2) Persons, recruited to the Service before the commencement of these rules; and

(3) Persons, recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, pay-scale etc.-** The classification of the Service, the number of posts included in the Service and the scale of pay attached thereto shall be specified in Schedule – I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of recruitment. -** (1) Recruitment to the Service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely: -

(a) by direct recruitment, through competitive examination or by selection on the basis of merit and interview;

(b) by promotion of members of the service;

(c) by transfer or deputation of persons, who hold in substantive or substitutive capacity such posts in such services, as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (a), (b) or (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the Service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the Commission.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the Service so require, the Government may after consultation with the Commission adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) At the time of recruitment to the service, the provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and instructions (as amended) issued from time to time under this Act by the General Administration Department of the Government shall apply.

7. Appointment to service.- All appointments to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. Conditions of eligibility for direct recruitment.- In order to be eligible for direct recruitment/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(I) Age – (a) The candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and not attained the age as specified in column (4) of said Schedule on the first day of January of the year in which the advertisement for the post is published;

(b) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 5 (Five) years, if candidate belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer);

(c) The upper age limit shall also be relaxable upto a maximum of 10 (Ten) years for a women candidate in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997;

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh to the extent and subject to the conditions specified below:-

(i) A candidate, who is a permanent or temporary Government servant of Chhattisgarh should not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate, holding a post temporarily and applying for any other post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committee;

(iii) A candidate who is a "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation- The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for

a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service;

(e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years;

Explanation -The term "Ex-serviceman" denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 (six) months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than 3 (three) years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service:-

(i) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-

(a) Completion of short term engagement; (b) Full filling the condition of enrolment.

(iii) Ex-servicemen/ Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short-service Regular Commissioned Officers);

(iv) Ex-servicemen /Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(v) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(vi) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc.;

(vii) Ex-Servicemen invalidated out of service.

(f) The upper age limit shall also be relaxable up to a maximum of 2 (two) years for those candidates who are holding green card under the Family Welfare Programme;

(g) The upper age limit shall be relaxable up to 5 (five) years in respect of awarded superior caste partner of a couple awarded under the Chhattisgarh Inter-Caste Marriage Promotional Scheme under Untouchability Eradication Rules, 1984;

(h) The upper age limit shall be relaxed up to five years in respect of the Shaheed Rajiv Pande Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdeo awards holder candidates and National Young Award holder candidiates;

(i) The upper age limit shall be relaxed up to 38 (thirty eight) years of age in respect of candidates who are the employees of Chhattisgarh State Corporations/Boards;

(j) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Homc Guards for the period of Home Guard Service rendered so by them subject to the limit of 8 (eight) years but in no case their age should exceed 38 years.

Note- (1) Candidates who are admitted to the examination/ selection under the concessions mentioned in Rule 8(d) (i) and (ii) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination/selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(2) In no other case shall these age limit be relaxed. The departmental candidates must obtain previous permission of

the Appointing Authority to appear for the examination/ selection.

(k) After providing relaxation on the basis of any one or more of the category mentioned above for entering in Government service the maximum age limit must not exceed 45 years.

(l) Apart from above in respect of age limit, the directions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time, shall also be applicable.

(II) Educational qualifications:- The candidate must possess the educational qualifications and experience prescribed for the service as shown in Schedule-III.

(III) Fee:- (A) The Candidate must pay the fees prescribed by the Commission.

(B) The Candidate who has been required to appear before Medical Board must pay the fees as prescribed by the Government to the Chairman of the Medical Board before medical test.

Disqualifications.- (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means directly or indirectly may be held by the Commission to be disqualification from selection.

(2) Any male candidate who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any service or post:

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so, then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule to such candidates.

(3) Any candidate shall not be appointed to any service or post until he/ she is declared mentally or physically fit and free from any mental or physical default which can hinder the fulfillment of duty of any service or post in such medical examination as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases a candidate may be given temporary appointment on any service or post before his medical examination under a

condition that, if he is found medically unfit, then his services may be terminated immediately.

(4) Any candidate shall not be eligible on such condition to any service or post, if the Appointing Authority satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such service or post.

(5) Any candidate who is convicted for any offence against women shall not be eligible for any service or post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate then matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally determined by the court.

(6) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any service or post.

(7) Any candidate who is having more than two living offspring, out of which is born on 26th January, 2001 or thereafter, shall not be eligible for any service or post:

Provided that any candidate who is already having one living offspring and next delivery takes place on 26th January, 2001 or thereafter in which two or more than two children are born, shall not be disqualified for any service or post.

10. **Commission's decision about the eligibility of candidates shall be final.–** (1) The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission shall not be allowed to appear in the examination/interview

(2) At any time of selection process or even after submission of selection list to the Government, if it comes to the notice of the Commission that a candidate has given wrong information or any misinformation is found in the documents submitted by him, then he will be disqualified and his selection/appointment shall be terminated by the Commission.

11. **Direct Recruitment by Competitive Examination / Selection /Interview.–** (1) The selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the

Government may, in consultation with the Commission, from time to time, determine.

(2) Competitive examination shall be conducted by the Commission as per such syllabus, examination plan and directions issued by the Government on consultation with the Commission, from time to time.

(3) The selection of the candidates to the service shall be made in such manner as may be determined by the Commission.

(4) At the time of recruitment in the service the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the directions issued under this Act by the General Administration Department of the Government from time to time shall be applicable.

(5) There shall be 30 percent reserved posts for women candidates in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997. The reservation shall be Horizontal and Compartment-wise.

(6) In addition to above, the post for disabled/ex-servicemen shall be reserved in accordance with the Act/Rule/Order/Instructions issued by the Government from time to time.

(7) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(8) In addition to above the candidates who may women/persons with disability/ex-servicemen and who is selected consequent to reservation, shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relative rank with other candidates.

(9) Those candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) who are declared eligible for appointment by the Commission keeping in view of their administrative efficiency, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) as per sub-rule (7) as the case may be.

(10) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled in, by direct recruitment and it is found in the opinion of the Government that there is a possibility of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) may not be available in sufficient number, the Competent Authority may relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer).

12. List of candidates recommended by the Commission.– (1) The Commission shall prepare and forward a list to the Appointing Authority, arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as determined by the Selection Committee and a list of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who, though not qualified by that standard but declared by the Selection Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration and the list of candidates of each category belonging to women, persons with disability /ex-servicemen in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards due to reservation, whose validity for appointment shall be one year from the date of sending the list to the Government.

(2) The list so prepared under sub-rule (1) shall be notified on the Commission website for information to the general public.

(3) A select list for each category shall be prepared by the Committee for filling the vacant posts, for such categories a waiting list shall also be prepared in which minimum one name and maximum names upto 25% of the vacant posts shall be

included. The validity of the list shall be one and half year from the date of issue of such select list.

Explanation- While calculating 25% vacant posts in each category, to make it an integer, decimal number shall be extended to the next integral number.

(4) Commission shall forward the selection list prepared under sub-rule (1) to the Government for further action regarding appointment.

(5) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(6) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Commission is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidates is suitable in all respects for appointment to the Service.

(7) Any candidate, whose name is included in the selection list, do not join the duty within the valid period, or resigns or for any reason he is found unfit or the selected candidate dies during the valid period, the name of candidate from the waiting list can be recommended by the Commission for appointment.

(8) If a request is being received from the Government asking to send names of the candidates from waiting list, then the Commission, as per the above provisions, will recommend the names from the waiting list and send it to the Government.

(9) Commission, after receiving the proposal from the Government, can extend the validity period of selection list for a maximum period of 6 months by stating valid reason to the Government.

(10) On extending the validity period of waiting list for 6 months, the validity period of waiting list will automatically deem to be extended for 6 months.

(11) The validity of selection list, prepared under sub-rule (8) and (9), shall not be extended by the Commission unless the Government makes any recommendation stating valid reason for extension.

13. Probation. – (1) Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

(2) If the work is found unsatisfactory, then the period of probation can be extended by the Appointing Authority for a period upto a maximum of 1 year.

(3) During the period of probation or period extended or at the end of probation period, if the Appointing Authority is of the opinion that any particular candidate is not fit to be an officer, then the services of such probationer can be terminated.

14. Appointment by Promotion. – (1) There shall be constituted a Committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV, for making preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that under this sub-rule, for constitution of the Committee, provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be applicable.

(2) The committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding 1 (one) year.

(3) Every promotion shall be as per the Chhattisgarh Public service (Promotion) Rules, 2003 and as per model roster.

(4) The procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with sub-rule (3) and the instructions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.

(5) Certification by the Appointing Authority - Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him a certificate to the effect that he had complied with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhede Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and the rules by the State Government and that he has taken full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.

15. **Conditions of eligibility for promotion.–** (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Committee shall consider the cases of all persons who on first day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) in the posts, from which promotion is to be made as specified in column (2) of Schedule-IV or on any other post or posts declared equivalent thereto by the Government as specified in column (3) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation.– The method of computation for eligibility for promotion– The calculation of period of qualifying service on 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Screening Committee is convened, shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeder cadre/part of the service/pay scale the post and not from the date of joining of the cadre/part of the service/pay scale of post.

(2) (i) In such cases where promotion is to be given on seniority cum fitness basis or on seniority basis leaving unsuitable candidate, there will be no grounds for consideration for all categories. Proposals of such number of public servants shall only be considered as per seniority that shall be sufficient for filling the existing posts in each category and number of expected vacant post due to retirement/promotion during 1 year.

(ii) In such cases where promotion is to be made on merit cum seniority basis, the area for consideration shall be four more than two times of the total vacant posts. If the sufficient number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Government Servants are not available for promotion then the area of consideration may extend upto 7 times of the total vacant posts and filling up of reserved post may be made from the persons belonging to reserved category above mentioned area of consideration. Committee shall consider to fill the vacancies existing under each category in said area of consideration and the anticipated vacancies on account of retirement and promotion the course of 1 year.

(3) The name of public servant in requisite number for each cadre shall be considered for the purpose of inclusion of his name upto 25 percent of number of public servant included in the selection list or to that of two public servant, whichever is more to

fill the unexpected vacancies during above said duration apart from expected vacancies under sub-rule (2).

(4) Promotion shall be made as per Reservation Roster prescribed by the Government.

(5) Other provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the order issued by the General Administration Department from time to time shall be applicable for promotion.

16. Preparation of list of suitable candidate. – (1) The committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the condition prescribed in rule 14 and 15 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of period of one year from the date of preparation of the list. In addition to this a reserve list, which shall consist one and minimum upto 25% in each category, shall be prepared to fill the unexpected vacancies during said period.

(2) The list of suitable officers shall be prepared according to the provision of Chhattisgarh Public service (Promotion) Rules, 2003.

(3) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(4) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the service, as the case may be, then the committee shall record its reason for the proposed supersession.

17. Consultation with the Commission.— (1) The list prepared in accordance with Rule 1 6 shall be sent to the Commission along with following documents:-

(i) the record of all the persons included in the list.

(ii) record of all such persons mentioned in column (2) of Schedule-IV who are proposed for supersession as recommended in the list.

(iii) recorded reasons of the committee for the proposed supersession of any person of the service as mentioned in column (2) of Schedule-IV.

(iv) remarks of the Government on the recommendations of the committee.

(2) If the Chairman of the Commission or any member who is nominated by the Chairman/Commission is present in the promotion committee and if all members of the committee including Chairman have signed on the proceeding of the meeting then the above action under sub-rule (1) is not required and it shall be deemed to be compliance of the requirement of the consultation with the Commission under sub-clause (b) of clause (3) of Article 320 of the Constitution and a separate consultation with the Commission shall not be necessary.

18. Select List. – (1) Commission shall consider the list along with the documents received from the Government, prepared by the Selection Committee, if it feels that there is no need of making any changes then it shall approve the list.

(2) If the Commission considers it necessary to make any change in the list received from the Government. the commission shall inform the Government of the changes proposed and if the Government expresses any opinion after considering it, along with such modification if any in its opinion that is just and proper, will approve the list.

(3) The list as finally approved by Commission shall be Select List for promotion of the members of service from the posts mentioned in column (2) of schedule-IV to the posts as mentioned in column (4) of the said schedule.

(4) The select list shall ordinarily be valid upto 31st December of the calendar year from the date of its preparation.

Provided that in the event of grave lapses in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the Commission may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

19. Appointment to the Service from the select list. – (1) Appointment of the officers included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such officers appear in the select list.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of a person whose name is included in the select list to the Service

unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment, there occurs any deterioration in his work, which, in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

20. Probation. - Every person recruited by promotion to the service shall be appointed on probation for a period of 2 years.

21. Interpretation. – If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

22. Relaxation. – Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

23. Repeal and saving.– (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

(2) Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regards.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SHIKHA RAJPUT TIWARI, Deputy Secretary.

SCHEDULE-I

(See Rule 5)

S.No.	Name of the post included in Service	Number of posts	Classification	Scale of Pay	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Chief Engineer	4	Class-I	37400-67000 + Grade Pay 8900	
2.	Superintending Engineer	i9	Class-I	15600-39100 + Grade Pay 7600	
3.	Executive Engineer (Civil)	85	Class-I	15600-39100 + Grade Pay 6600	
4.	Executive Engineer (Electrical)	1	Class-I	15600-39100 + Grade Pay 6600	
5.	Assistant Engineer (Civil)	348	Class-II	15600-39100 + Grade Pay 5400	
6.	Assistant Engineer (Electrical)	4	Class-II	15600-39100 + Grade Pay 5400	
7.	Financial Controller	1	Class-I	15600-39100 + Grade Pay 7600	
8.	Account Officer	53	Class-II	15600-39100 + Grade Pay 5400	
9.	Programmer	1	Class-II	15600-39100 + Grade Pay 5400	

SCHEDULE-II
(See Rule 6)

S.No.	Name of Service or Post	Number of Posts	Percentage of the number of posts to be filled			Remark
			By direct Recruitment [see rule 6(1)(a)]	By promotion of the members of the service [see rule 6(1)(b)]	By temporary transfer of the members from other services [see rule 6(1)(c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Chief Engineer	4	-	100%	In the event of non-availability of suitable persons for promotion	
2.	Superintendent Engineer	19	-	100%	In the event of non-availability of suitable persons for promotion	
3.	Executive Engineer (Civil)	85	-	100%	In the event of non-availability of suitable persons for promotion	
4.	Executive Engineer (Electrical)	1	-	100%	In the event of non-availability of suitable persons for promotion	

5.	Assistant Engineer (Civil)	348	27%	73% (70 percent from among the sub-Engineers and 3 percent from among the Draftsman)	In the event of non-availability of suitable persons for promotion	
6.	Assistant Engineer (Electrical)	4	27%	73% (70 percent from among the sub-Engineer and 3 percent from among the Draftsman)	In the event of non-availability of suitable persons for promotion	
7.	Financial Controller	1	-	-	From the Finance Department	
8.	Account Officer	53	-	-	From the Finance Department	
9.	Programmer	1	100%	-	-	

SCHEDULE-III

(See Rule 8)

S.No.	Name of Service or Posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed Educational Qualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Assistant Engineer (Civil)	21 years	30 years	Degree in Civil Engineering from any recognized university or equivalent thereto.
2.	Assistant Engineer (Electrical)	21 years	30 years	Degree in Electrical Engineering from any recognized university or equivalent thereto.
3.	Programmer	21 years	30 years	M.C.A. Or B.E./B.Tech. (Computer Science / Information Technology / Electronics Telecommunication) **Note**:- Preference shall be given to M.C.A. Degree Holder Candidate.

Note The upper age limit shall be relaxed, for the candidates who are bonafide local resident of Chhattisgarh State, as per instruction issued by the General Administration Department, from time to time.

SCHEDULE-IV
(See Rule 14 and 15)

S.No.	Name of the post from which promotion is to be made	Minimum experience	Name of post to which the promotion is to be made	Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Superintending Engineer	5 years	Chief Engineer	Chief Secretary -Chairman Departmental Principal Secretary / Secretary - Member
2.	Executive Engineer	5 years	Superintending Engineer	Chairman of Public Service Commission or any member nominated by him - Chairman Additional Chief Secretary /Principle Secretary/ Secretary -Member Joint Secretary /Deputy Secretary -Member Chief Engineer (RES) -Member.
3.	Assistant Engineer	6 years	Executive Engineer	
4	Sub-Engineer	10 years	Assistant Engineer	
5.	Draftsman	10 years	Assistant Engineer	

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 जुलाई 2014

क्रमांक/एफ-20-3/2009/25-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी, 2009 एवं दिनांक 31 मई, 2012 को अतिष्ठित करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 23 सहपठित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 यथासंशोधन नियम, 2013 के नियम 16 के अंतर्गत निम्नानुसार राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति का पुनर्गठन करता है.

1.	मान. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन	अध्यक्ष
2.	मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आ.जा.तथा अनु.जा.वि. विभाग	उपाध्यक्ष
3.	मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग	सदस्य
4.	मान. श्रीमती कमला पाटले, संसद सदस्य	सदस्य
5.	मान. श्री विक्रम उसेण्डी, संसद सदस्य	सदस्य
6.	मान. श्री दिनेश कश्यप, संसद सदस्य	सदस्य
7.	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक	सदस्य
8.	मान. डॉ. सनम जांगड़े, विधायक	सदस्य
9.	मान. श्री नवीन मारकण्डेय, विधायक	सदस्य
10.	मान. श्री दयालदास बघेल, विधायक	सदस्य
11.	मान. श्रीमती सरोजनी बंजारे, विधायक	सदस्य
12.	मान. श्रीमती चम्पादेवी पावले, विधायक	सदस्य
13.	मान. श्री राजशरण भगत, विधायक	सदस्य
14.	मान. श्री रोहित कुमार साय, विधायक	सदस्य
15.	मान. श्रीमती सुनीती सत्यानंद राठिया, विधायक	सदस्य
16.	मान. श्री गोवर्धन सिंह मांझी, विधायक	सदस्य
17.	मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन	सदस्य
18.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग	सदस्य
19.	पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़	सदस्य
20.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित तीन से अनधिक सामाजिक कार्यकर्ता.	सदस्य
21.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग.	सदस्य/संयोजक

2. यह समिति अधिनियमों के अंतर्गत उपबंधों के कार्यान्वयन, पीड़ित व्यक्तियों को दी गई राहत और पुनर्वास सुविधा तथा उससे संबद्ध अन्य मामले तथा अधिनियम के अधीन मामलों का अभियोजन, अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार विभिन्न अधिकारियों और अभिकरणों की भूमिका तथा राज्य सरकार द्वारा प्राप्त विभिन्न प्रतिवेदनों पर विचार कर सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 जुलाई 2014

क्रमांक-एफ 7-34/2014/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कोतबा निवेश क्षेत्र, जिला जशपुर का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है :—

अनुसूची

कोतबा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम आमाटोली, मधुवन एवं ग्राम डोंगादरहा की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम मधुवन, कोतबा, डोंगादरहा एवं ग्राम गोलियागढ़ की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम डोंगादरहा, गोलियागढ़ एवं ग्राम खजरीढाप की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम खजरीढाप, राकबहार, आमाटोली एवं ग्राम मधुवन की पश्चिमी सीमा तक.

नया रायपुर, दिनांक 15 जुलाई 2014

क्रमांक-एफ 9-08/2005/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए बगीचा निवेश क्षेत्र, जिला जशपुर का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है :—

अनुसूची

बगीचा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम बगडोल, डुमरटोली, भट्ठीकोना, कुरूमकेला, गम्हरिया एवं ग्राम रतबा की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम रतबा की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम रतबा, बगीचा, रेवरे, रूपसेरा एवं ग्राम बगडोल की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम रूपसेरा, बगडोल, डुमरटोली एवं ग्राम भट्ठीकोना की पश्चिमी सीमा तक.

नया रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2014

क्रमांक-एफ 9-23/2005/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कुनकुरी निवेश क्षेत्र, जिला जशपुर का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है :—

अनुसूची

कुनकुरी निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम रेमते, गीनाबहार, बेमताटोली एवं ग्राम कंडोरा की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम कंडोरा की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम कंडोरा, घुमाडॉड, कुनकुरी, गड़ाकाटा एवं ग्राम पण्डरीपानी की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम पण्डरीपानी, रेमते एवं ग्राम गीनाबहार की पश्चिमी सीमा तक.

नया रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2014

क्रमांक एफ 1-20/2010/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 76-ख की उपधारा (2) सहपठित धारा 85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ विकास प्राधिकरण सेवा (अधिकारी तथा कर्मचारी) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूचियों में,—

अनुसूची-एक, दो, तीन तथा चार में शब्द "स्टेनोग्राफर" के पश्चात्, शब्द "ग्रेड-तीन" का लोप किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2014

क्रमांक एफ 1-20/2010/32.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21-07-2014 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, सचिव.

Naya Raipur, the 21st July 2014

No. F 1-20/2010/32.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 76B read with Section 85 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Development Authority Services (Officers and Employees) Recruitment Rules, 2013, namely :—

AMENDMENT

In Schedules of the said rules,—

In Schedule-I, II, III and IV, after the word "Stenographer" the words "Grade-III" shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANJAY SHUKLA, Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 18 जुलाई 2014

क्रमांक/4790/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुबर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	भड़सेना प. ह. नं. 20	0.020	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	मोंगरा परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 जुलाई 2014

क्रमांक/4791/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	दानीटोला प. ह. नं. 21	2.063	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	मोंगरा बैराज के डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2014

क्रमांक 494/क्र./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 02/अ-82 वर्ष 2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-आरंग

(ग) नगर/ग्राम-बरौदा, प.ह.नं. 17

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.31 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1425/2	0.18
	1427	0.04
	1619	0.09
योग	3	0.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर के विकास एवं निर्माण कार्य ए.डी. रोड नं.-2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2014

क्रमांक 499 क/वा./भू.अ./अविअ/प्र.क्र. 44/अ-82 वर्ष 2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-अभनपुर

(ग) नगर/ग्राम-उपरवारा, प.ह.नं. 137/16

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.10 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	2894/2	1.10
योग	1	1.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर में आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत नया रायपुर के विकास एवं निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2014

क्रमांक/502 क/वा./भू.अ./अविअ/प्र.क्र. 28/अ-82 वर्ष 2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-अभनपुर

(ग) नगर/ग्राम-तेंदुआ, प.ह.नं. 22

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.85 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
469	0.42

(1)	(2)
513	0.56
514	0.21
666/2	0.02
667	0.02
668	0.16
675/1	0.03
676	0.36
678	0.27
679	0.36
680	0.24
681	0.04
689	0.15
690	0.01
योग 14	2.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर विकास एवं निर्माण योजनांतर्गत फेस-II में ए.डी. रोड-3 हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2014

क्रमांक 503/क/वा./भू.अ./अविअ/प्र.क्र. 30/अ-82 वर्ष 2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-परसदा, प.ह.नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-13.63 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
15	0.22
16	0.08
17	0.12
21	1.41
22	0.43
32	0.12
33	0.04
34	0.03
35	0.03
36	0.2
37	0.33
38	0.79
133	2.01
403	3.57
186	0.15
297	0.21
299	0.89
333	0.05
336	0.29
400	1.00
401	1.01
404	0.63
480/3	0.01
480/4	0.01
योग 24	13.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर के विकास एवं निर्माण कार्य [illegible] हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2014

क्रमांक/791 क/वा./भू.अ./अविअ/प्र.क्र. 24/अ-82 वर्ष 2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-अभनपुर
(ग) नगर/ग्राम-भेलवाडीह, प.ह.नं. 22
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.33 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	488	0.59
	530/2	0.20
	565	0.54
योग	3	1.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर परियोजना अंतर्गत बार्टानिकल पार्क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 25 फरवरी 2014

क्रमांक 83/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कोरिया
(ख) तहसील-सोनहत
(ग) नगर/ग्राम-किशोरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.82 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	23/1	0.12
	32/495	0.71
	26	0.33
	41	0.24
	28	0.03
	29	0.40
	30	0.02
	43	2.14
	32/1	2.40
	39	0.84
	40	0.42
	49	0.10
	68	0.10
	77	0.04
	85	0.05
	74	0.09
	86	0.03
	73	0.13
	19	0.31
	98	0.17
	100	0.02
	95	0.04
	119	0.09
योग		8.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-किशोरी जलाशय सिंचाई योजना के बांध, नहर बेस्टबियर एवं डोमान निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), सोनहत के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश चम्पावत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, दिनांक 23 जुलाई 2014

क्रमांक/3184/भू-अर्जन/05/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-दन्तेवाड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-बड़ेबचेली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.609 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
993/4	0.104
993/6	0.672
1001	0.833
योग	1.609

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है-छ.ग. गृह निर्माण मण्डल के सामान्य आवास योजना कालोनी निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. देवासेनापति कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बेमेतरा, दिनांक 25 जून 2014

क्रमांक/04/अ-82/भू-अर्जन/12-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-रामपुर, प.ह.नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.30 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
33/1	0.28
33/3	0.02
योग	0.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-गोपालभैना-सुरकी मार्ग पर हाफ नदी पर पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा, दिनांक 22 जुलाई 2014

क्रमांक/1412/भू.अ./रा.नि./2014.—छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्र क्र. 2196/2001/2014/सात-1 नया रायपुर, दिनांक 16-06-2014 द्वारा पटवारी हल्कों का पुनर्गठन के संबंध में प्राप्त निर्देश एवं छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं रीना बाबा साहेब कंगाले, कलेक्टर जिला कोरबा एतद्द्वारा तहसील कोरबा एवं कटघोरा के नगर पालिक निगम क्षेत्र कोरबा के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करती हूं :—

सूची

तहसील का नाम	रा.नि.मं.	पटवारी हल्का क्रमांक/नाम	पटवारी हल्के में सम्मिलित ग्राम	नगर पालिका निगम क्षेत्र का नाम	कैफियत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	09-कोरबा	कोरबा कोहड़िया	कोरबा	
	—,,—	10-पाढीमार 10क-रूमगरा 10ख-रिसदी 10ग-रिसदा	पाढीमार रूमगरा रिसदी रिसदा	कोरबा	
	—,,—	13-दादरखुर्द 13क-खरमोरा 13ख-रामपुर 13ग-बरबसपुर 13घ-ढेलवाडीह	दादरखुर्द खरमोरा रामपुर बरबसपुर ढेलवाडीह भिलाईखुर्द रापाखर्रा विश्रामपुर	कोरबा	
	[illegible]	25क-झगरहा	झगरहा	कोरबा	
कटघोरा	[illegible]	11क-स्याहीमुडी	स्याहीमुड़ी जेल	कोरबा	
	—,,—	12-गोपालपुर 12क-डुमरमुडा 12ख-बरेडीमुडा 12ग-चोरभट्ठी	गोपालपुर डुमरमुडा बरेडीमुंडा चोरभट्ठी	कोरबा	
	—,,—	15-बांकी 15क-मोंगरा 15ख-गजरा	बांकी मौंगरा गजरा	कोरबा	
	—,,—	16-घुड़देवा 16क-कुचेना 16ख-भैरोताल 16ग-मड़वाढोंडा 16घ-पुरेना 16ङ-रोहिना	घुड़देवा कुंचेना भैरोताल मड़वाढोड़ा पुरेना रोहिना	कोरबा	
	—,,—	17-जमनीपाली 17क-सेमीपाली 17ख-सुमेधा 17ग-कुमगरी	जमनीपाली सेमीपाली सुमेधा कुमगरी	कोरबा	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटघोरा	कटघोरा	18 अगारखार	अगारखार	कोरबा	
		18क-केन्दईखार	केन्दईखार		
		18ख-लाटा	लाटा		
		18ग-बल्गीखार	बल्गीखार		
	—,,—	19-दर्रीखार	दर्रीखार	कोरबा	
			नगोईखार		
			चारपारा		
			गेरवां		
			टांगामार		
		19क-डगनियाखार	डगनियाखार		
		19ख-सुराकछार	सुराकछार		
		19ग-खम्हरिया	खम्हरिया		
	दीपका	20-गेवरा	गेवरा	कोरबा	
			मनगांव		
			घाटमुड़ा		
		20क-दुरपा	दुरपा		
			दुल्लापुर		
		20ख-बरमपुर	बरमपुर		
			जरहाजेल		
			बरपाली		
		20ग-नरईबोध	नरईबोध		
		20घ-कोसमंदा	कोसमंदा		
	—,,—	21क-चन्द्रनगर	चन्द्रनगर	कोरबा	
2	**4**	**43**	**57**		

रीना बाबा साहेब कंगाले,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), जिला दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 24 जुलाई 2014

क्रमांक/100/भू.अ./रा.नि.मं.पु./2014.—छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक 2186/2001/2014/सात-1 नया रायपुर, दिनांक 16-06-2014 द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल के पुनर्गठन के संबंध में प्राप्त निर्देश एवं छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं आर. शंगीता, कलेक्टर जिला दुर्ग एतद्द्वारा जिला दुर्ग के तहसील दुर्ग के नगर निगम क्षेत्र दुर्ग एवं भिलाई में राजस्व निरीक्षक मण्डल का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाए गए अनुसार करती हूं :—

क्र.	तहसील का नाम	पूर्व रा.नि.मं. का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं. का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं. में शामिल प.ह. का नाम एवं नम्बर	नगर पालिका निगम क्षेत्र का नाम	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	दुर्ग	दुर्ग-1	दुर्ग	24-दुर्ग	दुर्ग	[illegible]
				25-पुलगांव		[illegible]
				बघेरा	,,	नवीन प्रस्तावित प.ह.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	दुर्ग	दुर्ग-1	सिकोला	7-उरला 8-सिकोला करहीडीह	दुर्ग ,,	 नवीन प्रस्तावित प.ह.
3	,,	,,	कसारीडीह	कसारीडीह पोटियाकला 23-बोरसी	,, ,,	नवीन प्रस्तावित प.ह.
4	,,	,,	तितुरडीह	तितुरडीह 20-कातुलबोड	,, ,,	नवीन प्रस्तावित प.ह.
5	,,	,,	जुनवानी	जुनवानी 21-खम्हरिया	भिलाई ,,	नवीन प्रस्तावित प.ह.
6	,,	,,	कोहका	19-कोहका कुरूद सुपेला	,, ,,	 नवीन प्रस्तावित प.ह.
7.	,,	अण्डा	रिसाली	22-रिसाली रूआबंधा डुण्डेरा	,, ,, ,,	 नवीन प्रस्तावित प.ह. नवीन प्रस्तावित प.ह.

दुर्ग, दिनांक 24 जुलाई 2014

क्रमांक/101/भू.अ./ह.पु./2014.—छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्र क्रमांक 2186/2001/2014/सात-1 नया रायपुर, दिनांक 16-06-2014 द्वारा पटवारी हल्कों का पुनर्गठन के संबंध में प्राप्त निर्देश एवं छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं आर. शंगीता, कलेक्टर जिला दुर्ग एतद्द्वारा तहसील दुर्ग के नगर निगम क्षेत्र दुर्ग एवं भिलाई के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाए गए अनुसार करती हूं :—

क्र.	तहसील का नाम	रा.नि.मं. का नाम	पुराने पटवारी हल्के का नाम एवं नम्बर	नवीन पटवारी हल्के का नाम एवं शामिल राजस्व ग्राम का नाम	नवीन पटवारी मुख्यालय ग्राम का नाम	नगर निगम क्षेत्र का नाम	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	दुर्ग	दुर्ग-1	7-उरला	7अ-बघेरा	बघेरा	दुर्ग	—
2.	,,	,,	8-सिकोला	8अ-करहीडीह	करहीडीह	,,	—
3.	,,	,,	20-कातुलबोड	20अ-तितुरडीह	तितुरडीह	,,	—
4.	,,	,,	23-बोरसी	23अ-पोटियाकला	पोटियाकला	,,	—
5.			25-पुलगांव	25अ-कसारीडीह	कसारीडीह	,,	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.	दुर्ग	दुर्ग-1	19-कोहका	19अ-कुरूद	कुरूद	भिलाई	—
7.	,,	,,	,,	19ब-सुपेला	सुपेला	,,	—
8.	,,	,,	21-खम्हरिया	21अ-जुनवानी	जुनवानी	,,	—
9.	,,	,,	22-रिसाली	22अ-रूआबांधा	रूआबांधा	,,	—
				आमदी		,,	
				कोसा		,,	
10.	,,	अण्डा	41-डुमरडीह	41अ-डुण्डेरा	डुण्डेरा	,,	—

आर. शंगीता,
कलेक्टर.

कार्यालय कलेक्टर, जिला-महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

महासमुन्द, दिनांक 25 जून 2014

क्रमांक/7314/पंचायत/2014.—छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-11-95-22 पं.-02, दिनांक 23 फरवरी 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 03 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला महासमुन्द के कलेक्टर द्वारा संलग्न सारणी (जिसे इसके पश्चात् "सारणी" कहा गया है) के स्तंभ (4) में दर्शाये गये गांव या गांवों के समूह के लिए, जिसकी जनसंख्या सारणी के स्तंभ (5) में दर्शायी गई है. सारणी के स्तंभ (3) में उल्लेखित नाम से, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाना प्रस्तावित है, तथा सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

इस स्थापित ग्राम में अधिनियम की धारा 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत का गठन किया जायेगा. इस प्रकार गठित ग्राम पंचायतों को अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत वर्णित अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक अन्य समस्त शक्तियां प्राप्त होगी.

जो कोई प्रभावित व्यक्ति इस अधिसूचना के संबंध में अपने पक्ष समर्थन या सुझाव के लिए दावे आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता है, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशन के प्रथम दिवस से दस दिवस के भीतर कार्यालयीन समय में अपना दावा आपत्ति या सुझाव लिखित में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है. नियत अंतिम तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त होने वाले दावे आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा. प्राप्त दावे आपत्तियों पर सुनवाई आगामी तिथि में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा की जायेगी, जिस पर कलेक्टर द्वारा अंतिम विनिश्चय किया जायेगा.

उमेश कुमार अग्रवाल,
कलेक्टर.

सारणी

खंड का नाम	अनुक्रमांक	ग्राम का नाम	ग्राम के अंतर्गत आने वाले गांव/गांवों का नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6
महासमुन्द	1	अछरीडीह	अछरीडीह	2416	32
		योग		**2416**	
महासमुन्द	2	गोपालपुर	गोपालपुर	664	34
			खट्टीडीह	606	34
			मुसकी	401	34
		योग		**1671**	
महासमुन्द	3	कांपा	कांपा,	2188	34
			परसवानी	746	34
		योग		**2934**	
महासमुन्द	4	बिरकोनी	बिरकोनी	4903	33
		योग		**4903**	
महासमुन्द	5	घोड़ारी	घोड़ारी	2784	33
		योग		**2784**	
महासमुन्द	6	मुढ़ेना	मुढ़ेना	1717	38
		योग		**1717**	
महासमुन्द	7	बेलसोंडा	बेलसोंडा	3741	37
		योग		**3741**	
महासमुन्द	8	वेगचा	बेमचा	5596	36
		योग		**5596**	
महासमुन्द	9	खरोरा	खरोरा	2200	37
		योग		**2200**	
महासमुन्द	10	साराडीह	साराडीह	1674	38
		योग		**1674**	
महासमुन्द	11	नांदगांव	नांदगांव	3178	38
		योग		**3178**	
महासमुन्द	0 12	बम्हनी	बम्हनी	2472	39
		योग		**2472**	

1	2	3	4	5	6
महासमुन्द	13	बरोंडाबाजार	बरोंडाबाजार	1985	40
			परसट्ठी	680	40
		योग		**2665**	
महासमुन्द	14	चिंगरौद	चिंगरौद	1940	39
		योग		**1940**	
महासमुन्द	15	लाफिनखुर्द	लाफिनखुर्द	2771	40
		योग		**2771**	
महासमुन्द	16	मचेवा	मचेवा	1356	41
			परसकोल	823	41
		योग		**2179**	
महासमुन्द	17	लाफिनकला	लाफिनकला,	1190	41
			[illegible]का	539	41
		योग		**1729**	
महासमुन्द	18	भलेसर	भलेसर	2047	43
		योग		**2047**	
महासमुन्द	19	खैरा	खैरा	2038	43
		योग		**2038**	
महासमुन्द	20	लभराखुर्द	लभराखुर्द	1463	44
		योग		**1463**	
महासमुन्द	21	मोंगरा	मोंगरा,	1253	46
			साल्हेभांठा	409	46
		योग		**1662**	
महासमुन्द	22	शेर	शेर	1652	46
		योग		**1652**	
महासमुन्द	23	कनेकेरा	कनेकेरा	1428	47
		योग		**1428**	
महासमुन्द	24	मोरधा	मोरधा,	617	47
			मुरकी	601	47
		योग		**1218**	
महासमुन्द	25	धनसूली	धनसुली,	1759	48
			मोइनाबाहरा (विरान)	0	[illegible]
		योग		**1759**	

1	2	3	4	5	6
महासमुन्द	26	बकमा	बकमा,	915	48
			केशवा	507	48
			कोना	616	48
		योग		**2038**	
महासमुन्द	27	परसदा (ख)	परसदा, (ख)	1305	50
			जीवतरा	824	50
		योग		**2129**	
महासमुन्द	28	लभराकला	लभराकला	1688	50
		योग		**1688**	
महासमुन्द	29	खट्टी	खट्टी	2867	49
		योग		**2867**	
महासमुन्द	30	बोरियाझर	बोरियाझर	1324	45
		योग		**1324**	
महासमुन्द	31	कोसरंगी	कोसरंगी	1623	49
		योग		**1623**	
महासमुन्द	32	झालखम्हरिया	झालखम्हरिया	960	45
			सिड़गिड़ी,जामली	1192	45
		योग		**2152**	
महासमुन्द	33	उमरदा	उमरदा	476	44
			पतेरापाली	475	44
			मुड़मार	340	44
			गौरखेडा	373	44
		योग		**1664**	
महासमुन्द	34	सोरिद	सोरिद	1253	35
			चोरभट्ठी	365	35
		योग		**1618**	
महासमुन्द	35	परसदा (ब)	परसदा (ब)	891	35
			नवापारा	277	35
			तुमाड़बरी	386	35
		योग		**1554**	
महासमुन्द	36	कौंदकेरा	कौंदकेरा	907	29
			बनसिवनी	1066	29
		योग		**1973**	

1	2	3	4	5	6
महासमुन्द	37	लोहारडीह	लोहारडीह	2806	29
			आमाझोला	47	29
		योग		**2853**	
महासमुन्द	38	कौंवाझर	कौंवाझर	1516	7
		योग		**1516**	
महासमुन्द	39	पटेवा	पटेवा,	1186	17
			जोगीडीपा	919	17
			पतईमाता	173	17
		योग		**2278**	
महासमुन्द	40	तोरला	तोरला	679	19
			सलिहाभाठा	662	19
		योग		**1341**	
महासमुन्द	41	खट्टा	खट्टा	1410	18
			नवागांव	164	18
			कोकड़ी	333	18
			पचपेड़ी	328	18
			सुवाबाहरा (विरान)	0	
	योग			**2235**	
महासमुन्द	42	मानपुर	मानपुर	928	18
			रामखेड़ा	939	18
		योग		**1867**	
महासमुन्द	43	सिंघी	सिंघी	1378	28
		योग		**1378**	
महासमुन्द	44	सोरम	सोरम	1067	28
			परसापाली (लोहारगांव)	448	28
			नायकबांधा	429	28
		योग		**1944**	
महासमुन्द	45	पाली	पाली	1339	27
			मुड़ियाडीह	849	27
		योग		**2188**	
महासमुन्द	46	झारा	झारा	1205	27
			चितमखार	573	27
		योग		**1778**	
महासमुन्द	47	बावनकेरा	बावनकेरा	1880	20
			मुंगईमाता	179	20

1	2	3	4	5	6
महासमुन्द	48	चिरको	चिरको	1840	19
			दर्रीपाली	589	19
योग				2429	
महासमुन्द	49	छिन्दौली	छिन्दौली	1618	21
योग				1618	
महासमुन्द	50	सिंधौरी	सिंधौरी	685	21
			नवापारा	628	21
			फूलवारी	239	21
योग				1552	
महासमुन्द	51	पथर्री	पथर्री,	765	26
			कुल्हरिया	406	26
			केरामुड़ा	451	26
योग				1622	
महासमुन्द	52	भटगांव	भटगांव	691	26
			सराईपाली	451	26
			फरफौंद	381	26
			सुकलाभांठा (विरान)	0	26
योग				1523	
महासमुन्द	53	नरतोरा	नरतोरा	1722	25
योग				1722	
महासमुन्द	54	बरेकेलकला	बरेकेलकला	1600	25
योग				1600	
महासमुन्द	55	जोबाकला	जोबाकला	784	24
			गोड़पाली	1071	24
योग				1855	
महासमुन्द	56	पचरी	पचरी	1499	24
			पंड्रीपानी	99	24
योग				1598	
महासमुन्द	57	मुनगासेर	मुनगासेर	1115	23
			गुडेलाभांठा	527	23
योग				1642	

1	2	3	4	5	6
महासमुन्द	58	सिंधनपुर	सिंधनपुर	1200	22
			बरभांठा	580	22
			खम्हारमुड़ा	135	22
		योग		**1915**	
महासमुन्द	59	छिलपावन	छिलपावन	1410	22
		योग		**1410**	
महासमुन्द	60	झलप	झलप	3166	14
			टुरीडीह	580	14
		योग		**3746**	
महासमुन्द	61	लखनपुर	लखनपुर	1787	23
		योग		**1787**	
महासमुन्द	62	ढांक	ढांक	1200	13
			तेलीबांधा	458	13
		योग		**1658**	
महासमुन्द	63	जामपाली	जामपाली	634	12
			सिंधुपाली	792	12
			रेंगाडबरी (विरान)	0	12
		योग		**1426**	
महासमुन्द	64	डूमरपाली	डूमरपाली	1061	12
			रामपुर	683	12
		योग		**1744**	
महासमुन्द	65	कुर्रुभांठा	कुर्रुभांठा	771	13
			गोंगल	705	13
		योग		**1476**	
महासमुन्द	66	सरेकेल	सरेकेल	749	15
			पाटनदादर	418	15
			सिंधरूपाली	557	15
		योग		**1724**	
महासमुन्द	67	तुरेंगा	तुरेंगा	881	15
			जोरातराई	939	15
		योग		**1820**	
महासमुन्द	68	कोलपदर	कोलपदर	900	11
			अमोरी	459	11
		योग		**1359**	

1	2	3	4	5	6
महासमुन्द	**69**	कछारडीह	कछारडीह	1188	11
			अमोरा	582	11
			उल्बा	336	11
योग				**2106**	
महासमुन्द	**70**	रायतुम	रायतुम	2664	10
योग				**2664**	
महासमुन्द	71	रूमेकेल	रूमेकेल	766	10
			सिंघनगढ़	354	10
			धनगांव	179	10
			झाखरमुड़ा	401	10
योग				**1700**	
महासमुन्द	72	**बनपचरी**	बनपचरी	713	16
			बरेकेल	650	16
			मधुबन	127	16
योग				**1490**	
महासमुन्द	73	सिंनोधा	सिंनोधा	1267	16
			तेन्दुवाही	501	16
			भावा	749	16
योग				**2517**	
महासमुन्द	74	बंदोरा	बंदोरा	471	9
			खीरसाली	456	9
			रायमुड़ा	486	9
योग				**1413**	
महासमुन्द	75	अचानकपुर	अचानकपुर	1362	9
			फूसेराडीह	281	9
योग				**1643**	
महासमुन्द	**76**	**सुकुलबॉय**	सुकुलबॉय	498	2
			नादबांरू	225	2
			मरौद	674	2
			रायकेरा	405	2
			केसलडीह	277	2
योग				**2079**	

1	2	3	4	5	6
महासमुन्द	77	अमलोर	अमलोर	648	1
			बोरिद	361	1
			केडियाडीह	511	1
योग				**1520**	
महासमुन्द	78	पासिद	पासिद	956	1
			चुहरी	338	1
			मुड़ियाडीह	213	1
			कर्राडीह	313	1
योग				**1820**	
महासमुन्द	79	सिरपुर	सिरपुर	1467	2
			खमतराई	831	2
			सेनकपाट	525	2
योग				**2823**	
महासमुन्द	80	पीढ़ी	पीढ़ी	1791	3
योग				**1791**	
महासमुन्द	81	लहंगर	लहंगर	787	3
			खड्सा	758	3
			मोहकम	692	3
योग				**2237**	
महासमुन्द	82	बांसकुड़ा	बांसकुड़ा	1006	8
			बिरबिरा	406	8
			कुहरी	390	8
योग				**1802**	
महासमुन्द	83	मालीडीह	मालीडीह	1056	7
			पिरदा	670	7
			बेंद्रीडीह	21	7
योग				**1747**	
महासमुन्द	84	परसाडीह	परसाडीह	1182	4
			गुडरूडीह	804	4
योग				**1986**	
महासमुन्द	85	गढ़सिवनी	गढ़सिवनी	2822	4
योग				**2822**	
महासमुन्द	86	कुकराडीह	कुकराडीह	876	6
			तेन्दुवाही	932	6
योग				**1808**	
महासमुन्द	87	खैरझिटी	खैरझिटी	1896	6
योग				**1896**	

1	2	3	4	5	6
महासमुन्द	88	भोंरिंग	भोंरिंग	4798	31
		योग		**4798**	
महासमुन्द	89	बेलटूकरी	बेलटुकरी	1687	30
			अमावस	727	30
		योग		2414	
महासमुन्द	90	अछोली	अछोली	2228	31
		योग		**2228**	
महासमुन्द	91	जोबा	जोबा	1734	5
		योग		**1734**	
महासमुन्द	92	अछोला	अछोला	3369	5
		योग:-		**3369**	
महासमुन्द	93	बड़गांव	बड़गांव	1827	32
		योग		**1827**	
महासमुन्द	94	नवागांव	नवागांव	1418	17
			झिलमिला	275	17
			ओडार	113	17
		योग		**1806**	
महासमुन्द	95	चौंकबेड़ा	चौकबेड़ा	1078	20
		योग		**1078**	
महासमुन्द	96	जलकी	जलकी	1104	8
		योग		**1104**	
महासमुन्द	97	बरबसपुर	बरबसपुर	1427	32
		योग:-		**1427**	
महासमुन्द	98	बोडरा	बोडरा	746	17
			ढुमसा	536	17
		योग:-		**1282**	
महासमुन्द	**99**	**बंबूरडीह**	बंबूरडीह	970	20
			खम्हारमुड़ा	122	20
		योग:-		**1092**	
महासमुन्द	**100**	**छपोराडीह**	छपोराडीह	1155	8
		योग:-		**1155**	
		महायोग:-		**202308**	

सारणी

खण्ड का नाम	अनु. क्र.	ग्राम (ग्राम पंचायत) का नाम	ग्राम के अंतर्गत आने वाले गांव/गावों का नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का नं
1	2	3	4	5	6
बागबाहरा	1	अरण्ड	अरण्ड	1076	1
			बेलर	442	1
		योग		1518	
बागबाहरा	2	मोहन्दी	मोहन्दी	1573	1
			पनिकाडीह	33	1
		योग		1603	
बागबाहरा	3	खल्लारी	खल्लारी	2354	3
		योग		2354	
बागबाहरा	4	कन्हारपुरी	कन्हारपुरी	771	3
			को [illegible]	807	3
		योग		1578	
बागबाहरा	5	कोमा	कोमा	1253	4
			आ [illegible]नारा	340	4
		योग		[illegible]	
बागबाहरा	6	बरबसपुर	बरबसपुर	685	4
			मोहगांव	390	4
			अमुरदा	536	4
		योग		1611	
बागबाहरा	7	गबौद	गबौद	1171	5
			हाथीगढ़	552	5
		योग		1723	
बागबाहरा	8	खुसरूपाली	खुसरूपाली	1214	5
			डोकरपाली	392	5
		योग		1606	
बागबाहरा	9	कलमीदादर	कलमीदादर	951	7
			बांदुमुडा	468	7
		योग		1419	
बागबाहरा	10	डोकरपाली	डोकरपाली	1274	7
			टूरीझर	862	7
		योग		2136	
बागबाहरा	11	तेन्दुकोना	तेन्दुकोना	1896	8
			साल्हेभांठा	255	8
		योग		2151	
बागबाहरा	12	मोंगरापाली (स)	मोंगरापली (स)	940	8
			सराईपाली	766	8
		योग		1706	

1	2	3	4	5	6
बागबाहरा	13	शिकारीपाली	शिकारीपाली	1062	9
			भीखापाली	906	9
		योग		1968	
बागबाहरा	14	कौंसरा	कौंसरा	775	9
			ठकुरीपाली	343	9
			कौहाकुड़ा	433	9
		योग		1551	
बागबाहरा	15	छुईहा	छुईहा	787	10
			फिरगी	788	10
			सोनदादर	413	10
		योग		1988	
बागबाहरा	16	तुपकबोरा	तुपकबोरा	983	10
			मुडागांव	833	10
		योग		1816	
बागबाहरा	17	गांजर	गांजर	1865	26
		योग		1865	
बागबाहरा	18	भदरसी	भदरसी	1083	26
			कुशपाली	160	26
		योग		1243	
बागबाहरा	19	बिराजपाली	बिराजपाली	908	11
			कोटनपाली	592	11
		योग		1500	
बागबाहरा	20	सम्हर	सम्हर	1610	11
		योग		1610	
बागबाहरा	21	लमकेनी	लमकेनी	1171	12
			तिलईदादर	720	12
			आमगांव	428	12
		योग		2319	
बागबाहरा	22	पतेरापाली	पतेरापाली	1576	13
			गाड़ाघाट	654	13
			बोहारडीह	332	13
		योग		2562	
बागबाहरा	23	बी.के.बाहरा	बी.के.बाहरा	1393	13
		योग		1393	
बागबाहरा	24	आंवराडबरी	आंवराडबरी	640	14
			बोईरगावं	790	14
		योग		1430	
बागबाहरा	25	भीमखोज	भीमखोज	656	14
			जोरातराई	607	14
			रैताल	590	14
		योग		1853	
बागबाहरा	26	म.क.बाहरा	म.क.बाहरा	1707	15
			पडकीपाली	251	15
		योग		1958	

1	2	3	4	5	6
बागबाहरा	27	चरौदा	चरौदा	1236	15
			जामली	718	15
			जीवनगढ़	222	15
		योग		2176	
बागबाहरा	28	कमरौद	कमरौद	1595	16
			खम्हारमुडा (रै)	332	16
		योग		1927	
बागबाहरा	29	मामाभाचा	मामाभाचा	993	16
			डोंगरपाली	709	16
		योग		1702	
बागबाहरा	30	पचेडा	पचेडा	1839	17
		योग		1839	
बागबाहरा	31	पोटिया	पोटिया	761	17
			हिच्छा	779	17
			खम्हारमुडा (मा)	217	17
		योग		1757	
बागबाहरा	32	डूमरपाली	डूमरपाली	1244	18
			घूचापाली	320	18
			बिजराडीह	237	18
		योग		1801	
बागबाहरा	33	तुसदा	तुसदा	746	18
			पेन्ड्रा	424	18
			फूलझर	347	18
		योग		1517	
बागबाहरा	34	खुटेरी	खुटेरी	1079	10
			अमेठी	460	10
		योग		[illegible]	
बागबाहरा	35	बोडराबांधा	बोडराबांधा	318	21
			बैहाडीह	417	21
			कोकनाझर	448	21
			चोरभठी	423	21
			जोगीडीपा	155	21
		योग		1761	
बागबाहरा	36	कुर्रूभाठा	कुर्रूभाठा	370	21
			छिन्दौला	601	21
			धौराभाठा	384	21
			डूमरडीह	481	21
		योग		1836	
बागबाहरा	37	आमाकोनी	आमाकोनी	973	20
			रोडा	496	20
			बंजरबाहरा	100	20
		योग		1569	

1	2	3	4	5	6
बागबाहरा	38	खम्हरिया	खम्हरिया	1561	20
			अमलीडीह	504	20
		योग		2065	
बागबाहरा	39	जुनवानीखुर्द	जुनवानीखुर्द	1731	35
		योग		1731	
बागबाहरा	40	घूचापालीकला	घूचापालीकला	1491	23
			घूचापालीखुर्द (विरान)	0	
			तेन्दूलाथाखुर्द (विरान)	0	
			नवागावंखुर्द (विरान)	0	
		योग		1491	
बागबाहरा	41	बिहाझर	बिहाझर	1285	25
			फुलवारीकला	748	25
			फुलवारीखुर्द	211	25
		योग		2244	
बागबाहरा	42	बागबाहराकला	बागबाहराकला	656	25
			करमापटपर	589	25
			कल्याणपुर	359	25
			बागबाहराखुर्द	68	25
		योग		1672	
बागबाहरा	43	कसहीबाहरा	कसहीबाहरा	1339	27
			पण्डराचुवा	114	27
		योग		1453	
बागबाहरा	44	बसुलाडबरी	बसुलाडबरी	702	27
			मोहबा	825	27
			लिटियादादर	459	27
		योग		1986	
बागबाहरा	45	टेढीनारा	टेढीनारा	780	28
			सोहगपुर (नवागांव)	540	28
		योग		1320	
बागबाहरा	46	खाडादरहा	खाडादरहा	998	29
			सालडबरी	589	29
		योग		1587	
बागबाहरा	47	मोंगरापाली (रे)	मोंगरापाली (रे)	842	29
			रेवा	602	29
			डोंगरीपाली	505	29
		योग		1949	
बागबाहरा	48	डोंगरगांव	डोंगरगांव	727	30
			चारनांटा	706	30
			खूडमुडी	642	30
		योग		[illegible]	
बागबाहरा	49	खेमड़ा	खेमड़ा	[illegible]	30
		योग		1332	

1	2	3	4	5	6
बागबाहरा	50	बोडरीदादर	बोडरीदादर	631	31
			सेनभांठा	429	31
			कोचर्रा	466	31
योग				1526	
बागबाहरा	51	बाघामुडा	बाघामुडा	749	31
			बांसकांटा	380	31
योग				1129	
बागबाहरा	52	खैरटखुर्द	खैरटखुर्द	748	32
			मोखा	661	32
			भिलाईदादर	823	32
योग				2232	
बागबाहरा	53	सुवरमार	सुवरमार	974	32
			भटगांव	584	32
			चिंगरिया	331	32
योग				1889	
बागबाहरा	54	कोमाखान	कोमखान	798	33
			लुकूपाली	1183	33
योग				1981	
बागबाहरा	55	घोयनाबाहरा कला	घोयनाबाहरा कला	763	33
			घोयनाबाहरा खुर्द (विरान)	0	
			भालुचूवां	600	33
			पटपरपाली खुर्द	36	33
योग				1399	
बागबाहरा	56	कुलिया	कुलिया	653	34
			बिडोरा	780	34
			बटेरा	622	34
योग				2055	
बागबाहरा	57	बकमा	बकमा	2059	34
योग				2059	
बागबाहरा	58	हाथीबाहरा	हाथीबाहरा	631	36
			घोटियापानी	625	36
			मातरबाहरा	198	36
			बिछलादादर	301	36
योग				1755	
बागबाहरा	59	टेका	टेका	1009	36
			दुहलु	671	36
			छुरीडबरी	504	36
योग				2184	
बागबाहरा	60	भोथा	भोथा	763	37
			टेंगराही	349	37
			गुलझर	476	37
योग				1588	

1	2	3	4	5	6
बागबाहरा	61	कोसमर्रा	कोसमर्रा	701	37
			कछारडीह	653	37
योग				1354	
बागबाहरा	62	टोंगोपानी	टोंगोपानीकला	1027	38
			टोंगोपानीखुर्द	109	38
			कोंटरीपानी	576	38
योग				1712	
बागबाहरा	63	कसेकेरा	कसेकेरा	1996	38
योग				1996	
बागबाहरा	64	बोईरगांव	बोईरगांव	1170	39
			दरबेकेरा	498	39
			चिखली (विरान)	0	
योग				1668	
बागबाहरा	65	पतेरापाली स	पतेरापाली स	701	39
			सराईपाली	299	39
			लोंदामुडा	395	39
योग				1395	
बागबाहरा	66	उखरा	उखरा	843	45
			अमेरा	503	45
			लामीसरार	459	45
योग				1805	
बागबाहरा	67	देवरी	देवरी	1588	46
योग				1588	
बागबाहरा	68	खुर्सीपार	खुर्सीपार	698	46
			मनकी	534	46
			बाम्हनसरा	350	46
योग				1582	
बागबाहरा	69	कुसमी	कुसमी	1113	49
योग				1113	
बागबाहरा	70	सिमगांव	सिमगांव	561	49
			छिबर्रा	427	49
योग				988	
बागबाहरा	71	साल्हेभांठा	साल्हेभांठा	487	48
			बैगाखम्हरीया	414	48
			डोंगाखम्हरीया	364	48
			दाईजबांधा	504	48
योग				1769	
बागबाहरा	72	सिवनीकला	सिवनीकला	962	45
			सिवनीखुर्द	237	45
			मातगुडा	270	45
			केरामुडा	122	45
			केरामुडाखुर्द	88	45
			सोनामुंदी	557	45
योग				2236	
बागबाहरा	73	बिन्द्रावन	बिन्द्रावन	1458	44
योग				1458	
बागबाहरा	74	नर्रा	नर्रा	2154	44
योग				2154	

1	2	3	4	5	6
बागबाहरा	75	झिटकी	झिटकी	767	43
			मुडपार	551	43
			कोकडी	425	43
		योग		1743	
बागबाहरा	76	पण्डरीपानी	पण्डरीपानी	777	42
			कारागुला	459	42
		योग		1236	
बागबाहरा	77	राटापाली	राटापाली	630	43
			झलमला	473	43
			बेहराभांठा	233	43
		योग		1336	
बागबाहरा	78	परकोम	परकोम	920	42
			बनियातोरा	497	42
		योग		1417	
बागबाहरा	79	परसुली	परसुली	922	41
			अमनपुरी	479	41
		योग		1401	
बागबाहरा	80	खट्टी	खट्टी	1280	41
			सेनभांठा	405	41
		योग		1685	
बागबाहरा	81	हाडाबंध	हाडाबंध	1014	1
			नवागांव	153	2
		योग		1167	
बागबाहरा	82	ओंकारबंध	ओंकारबंध	449	2
			तेलीबांधा	573	2
		योग		1022	
बागबाहरा	83	सुखरीडबरी	सुखरीडबरी	1163	6
			कस्तुरबोड	469	6
		योग		1033	
बागबाहरा	84	दाबपाली	दाबपाली	1030	6
			धामनतोरी	482	6
		योग		1012	
बागबाहरा	85	सिर्रीपठारीमुडा	सिर्रीपठरीमुडा	1041	12
		योग		1041	
बागबाहरा	86	तमोरा	तमोरा	1010	19
			ठोंगा	499	19
		योग		2228	
बागबाहरा	87	बोकरामुडाकला	बोकरामुडाकला	610	35
			खुसरूपाली	497	35
			जामगावं	640	35
		योग		1783	
बागबाहरा	88	जुनवानीकला	जुनवानीकला	1240	23
		योग			

1	2	3	4	5	6
बागबाहरा	**89**	भालूचुवा	भालूचुवा	862	24
			पडकीपाली	531	24
			पूटूपारा (विरान)	0	24
		योग		**1393**	
बागबाहरा	**90**	खोपली	खोपली	1202	24
		योग		**1202**	
बागबाहरा	**91**	मुनगासेर	मुनगासेर	1452	28
		योग		**1452**	
बागबाहरा	**92**	पटपरपाली	पटपरपाली	292	47
			बाम्हनडीह	481	47
			चंदरपुर	548	47
		योग		**1321**	
बागबाहरा	**93**	टेमरी	टेमरी	1212	47
		योग		**1212**	
बागबाहरा	**94**	भलेसर	भलेसर	1059	40
		योग		**1059**	
बागबाहरा	**95**	खैरटकला	खैरटकला	1413	40
			पलसीपानी	668	40
		योग		**2081**	
बागबाहरा	96	चुरकी	चुरकी	926	2
			तरपोंगी	492	2
		योग		**1418**	
बागबाहरा	97	अनवरपुर	अनवरपुर	786	6
			दावनबोड़	413	6
		योग		**1199**	
बागबाहरा	98	दारगांव	दारगाव	1065	12
		योग		**1065**	
बागबाहरा	99	सुनसुनिया	सुनसुनिया	954	12
			सोनदादर	480	12
		योग		**1434**	
बागबाहरा	100	धरमपुर	धरमपुर	608	19
			ढोड़	636	19
		योग		**1244**	
बागबाहरा	101	बोकरामुडाखुर्द	बोकरामुडाखुर्द	832	35
			कण्डीझर	330	35
		योग		**1162**	
बागबाहरा	102	हरनादादर	हारनादादर	1634	23
		योग		**1634**	
बागबाहरा	103	मनबाय	मनबाय	744	24
			सोनापुटी	783	24
		योग		**1527**	
बागबाहरा	104	नरतोरी	नरतोरी	844	28
			बंजारीडीह	237	छ
		योग		**1081**	

1	2	3	4	5	6
बागबाहरा	105	करहीडीह	करहीडीह	663	47
			खट्टाडीह	392	47
योग				**1055**	
बागबाहरा	106	द्वारतराकला	द्वारतराकला	874	40
			द्वारतराखुर्द	153	40
			भालुकोना	490	40
योग				**1517**	120
महायोग				**173830.00**	

सारणी

खण्ड का नाम	अनुक्रमांक	ग्राम का नाम	ग्राम के अन्तर्गत आने वाले गांव/गांवों का नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6
पिथौरा	1	जम्हर	जम्हर	1339	1
			खुसरूपाली	451	1
			योग	**1790**	
पिथौरा	2	छिबर्रा	छिबर्रा	1057	1
			कोचर्रा	242	1
			कोकोभांठा	775	1
			योग	**2074**	
पिथौरा	3	गोड़बहाल	गोड़बहाल	936	2
			राजाडेरा	653	2
			योग	**1589**	
पिथौरा	4	मुढ़ीपार	मुढ़ीपर	1123	2
			अर्जुनी	546	2
			योग	**1669**	
पिथौरा	5	भिथीडीह	भिथीडीह	1255	3
			पटपरपाली	419	3
			योग	**1674**	
पिथौरा	6	सरकड़ा	सरकड़ा	1099	3
			अमलीडीह	986	3
			योग	**2085**	
पिथौरा	7	लहरौद	लहरौद	1598	4
			नयापाराखुर्द	741	4
			योग	**2339**	
पिथौरा	8	किशनपुर	किशनपुर	1945	5
			रामपुर	988	5
			योग	**2933**	
पिथौरा	9	खैरखुंटा	खैरखुंटा	1576	5
			योग	**1576**	
पिथौरा	10	गोपालपुर	गोपालपुर	2639	6
			योग	**2639**	
पिथौरा	11	चारभांठा	चारभांठा	1322	7
			योग	**1322**	
पिथौरा	12	पाटनदादर	पाटनदादर	1173	6
			कुरमाडीह	488	6
			योग	**1661**	
पिथौरा	13	अनसुला	अनसुला	1464	7
			योग	**1464**	

1	2	3	4	5	6
पिथौरा	14	मेमरा	मेमरा	1824	9
			योग	**1824**	
पिथौरा	15	भोकलूडीह	भोकलूडीह	1203	8
			लोहराकोट	805	8
			योग	**2008**	
पिथौरा	16	पिलवापाली	पिलवापाली	1011	11
			कौड़िया	672	11
			योग	**1683**	
पिथौरा	17	बरेकेलखुर्द	बरेकेलखुर्द	1608	11
			योग	**1608**	
पिथौरा	18	राजासेवैयाखुर्द	राजासेवैयाखुर्द	2358	10
			योग	**2358**	
पिथौरा	19	परसापाली	परसापाली	599	**13**
			पोटापारा	720	**13**
			योग	**1319**	
पिथौरा	20	खुंटेरी	खुंटेरी	**1203**	**18**
			योग	**1203**	
पिथौरा	21	अरण्ड	अरण्ड	**1435**	**19**
			योग	**1435**	
पिथौरा	22	ठाकुरदियाखुर्द	ठाकुरदियाखुर्द	**1386**	**18**
			खपराखोल	**612**	**18**
			योग	**1998**	
पिथौरा	23	कौहाकुड़ा	कौहाकुड़ा	**899**	17
			बेलर	**279**	17
			योग	**1178**	
पिथौरा	24	ठाकुरदियाकला	**ठाकुरदियाकला**	1052	20
			सरईपाली	489	20
			योग	**1541**	
पिथौरा	25	धनोरा	**धनोरा**	782	17
			हरदी	617	17
			योग	**1399**	
पिथौरा	26	घोंच	घोंच	1589	16
			योग	**1589**	

1	2	3	4	5	6
पिथौरा	27	बगारपाली	बगारपाली	901	20
			खुसरूपाली	515	20
			योग	**1416**	
पिथौरा	28	घोघरा	घोघरा	1516	16
			हनुमानडीह	249	16
			योग	**1765**	
पिथौरा	29	दुरूगपाली	दुरूगपाली	1108	15
			फुटगुना	569	15
			योग	**1677**	
पिथौरा	30	गड़बेड़ा	गड़बेड़ा	2011	13
			योग	**2011**	
पिथौरा	31	कसहीबाहरा	कसहीबाहरा	1161	14
			सरगतोरा	718	14
			योग	**1879**	
पिथौरा	32	सोनासिल्ली	सोनासिल्ली	2266	14
			योग	**2266**	
पिथौरा	33	लामीडीह	लामीडीह	897	15
			दादरगांव	507	15
			योग	**1404**	
पिथौरा	34	कुम्हारीमुड़ा	कुम्हारीमुड़ा	830	21
			पंडरीखार	479	21
			योग	**1309**	
पिथौरा	35	बढ़ईपाली	बढ़ईपाली	882	21
			बांसकांटा	579	21
			योग	**1461**	
पिथौरा	36	मोंहदा	मोंहदा	919	22
			कोटादादर	657	22
			योग	**1576**	
पिथौरा	37	नयापाराकला	नयापाराकला	829	19
			योग	**829**	
पिथौरा	38	खेड़ीगांव	खेड़ीगांव	819	23
			चौकबेड़ा	500	23
			योग	**1319**	
पिथौरा	39	मुड़ागांव	मुड़ागांव	326	22
			बिजरापाली	564	22
			गहलागांठा	561	22
			बिटांगीपाली (विरान)	0	22
			योग	**1451**	
पिथौरा	40	भुरकोनी	भुरकोनी	1879	24
			योग	**1879**	

1	2	3	4	5	6
पिथौरा	41	बिराजपाली	बिराजपाली	634	24
			डोंगाझर	577	24
			योग	**1211**	
पिथौरा	42	कोदोपाली	कोदोपाली	741	25
			चुरूपाली	604	25
			योग	**1345**	
पिथौरा	43	नवागांवकला	नवागांवकला	842	23
			सुईनारा	331	23
			योग	**1173**	
पिथौरा	44	सोहागपुर	सोहागपुर	952	25
			भरूवामुड़ा	739	25
			योग	**1691**	
पिथौरा	45	बुन्देली	बुन्देली	3315	28
			योग	**3315**	
पिथौरा	46	बेल्डीह	बेल्डीह	1549	27
			योग	**1549**	
पिथौरा	47	लिलेसर	लिलेसर	1009	27
			उदरलामी	130	27
			योग	**1139**	
पिथौरा	48	डुमरपाली	डुमरपाली	860	29
			अमोदीडीह	265	29
			योग	**1125**	
पिथौरा	49	गिरना	गिरना	1134	29
			योग	**1134**	
पिथौरा	50	सुखीपाली	सुखीपाली	2078	30
			योग	**2078**	
पिथौरा	51	चिखली	चिखली	1143	30
			टोंगोपथरा	593	30
			योग	**1736**	
पिथौरा	52	सांकरा	**सांकरा**	**2851**	**45**
			योग	**2851**	
पिथौरा	53	उतेकेल	**उतेकेल**	**914**	**45**
			बिजेपुर	**463**	**45**
			योग	**1377**	
पिथौरा	54	माटीदरहा	**माटीदरहा**	862	46
			गौरिया	593	46
			योग	**1455**	

1	2	3	4	5	6
पिथौरा	**55**	रिखादादर	रिखादादर	982	51
			रिखादादर टुकड़ा (विरान)	0	51
			छातामौहा	596	51
			योग	**1578**	
पिथौरा	56	बगारदरहा	बगारदरहा	1190	51
			धरमपुर	813	51
			योग	**2003**	
पिथौरा	57	परसवानी	परसवानी	1058	52
			परसवानी टुकड़ा (विरान)	0	52
			पड़कीपाली	590	52
			अकलतरा	62	52
			योग	**1710**	
पिथौरा	58	बड़ेलोरम	बड़ेलोरम	1040	53
			सिंहारपुर	533	53
			सिंहारपुर टुकड़ा	176	53
			सिंहारपुर टुकड़ा (विरान)	0	53
			योग	**1749**	
पिथौरा	59	लारीपुर	लारीपुर	871	53
			लारीपुर टुकड़ा बड़ा	157	53
			लारीपुर टुकड़ा छोटा	78	53
			फटामुड़ा	362	53
			योग	**1468**	
पिथौरा	60	ढोढ़रकसा	ढोढ़रकसा	869	54
			बहादुरपुर	377	54
			लालमाटी	448	54
			योग	**1694**	
पिथौरा	61	छोटेलोरम	छोटेलोरम	896	54
			छोटेलोरम टुकड़ा (विरान)	0	54
			छोटेलोरम टुकड़ा नया	111	54
			डोंगरीपाली	682	54
			डोंगरीपाली टुकड़ा (विरान)	0	54
			योग	**1689**	
पिथौरा	**62**	**जेराभरन**	जेराभरन	946	52
			बारीकपाली	664	52
			बारीकपाली टुकड़ा	270	52
			योग	**1880**	
पिथौरा	63	कटंगतराई	कटंगतराई	620	55
			शंकरपुर	1274	55
			योग	**1894**	

1	2	3	4	5	6
पिथौरा	64	सलडीह	सलडीह	1920	55
			योग	**1920**	
पिथौरा	65	मोहगांव	मोहगांव	900	50
			छुवालीपतेरा	1079	50
			आर.बी.चीपमेन	501	50
			योग	**2480**	
पिथौरा	66	कंचनपुर	कचनपुर	860	50
			पण्डरीपानी	393	50
			पण्डरीपानी टु.	236	50
			योग	**1489**	
पिथौरा	67	जामजुड़ा	जामजुड़ा	856	47
			पतेरापाली	361	47
			योग	**1217**	
पिथौरा	68	देवरी	देवरी	991	47
			नारायणपुर	580	47
			बंजारीडीपा	206	47
			योग	**1777**	
पिथौरा	69	पेण्ड्रावन	पेण्ड्रावन	1480	49
			योग	**1480**	
पिथौरा	70	नवागांव	नवागांव	525	49
			नवागांव टुकड़ा	588	49
			योग	**1113**	
पिथौरा	71	सिरको	सिरको	1380	48
			योग	**1380**	
पिथौरा	72	खुर्सीपहार	खुर्सीपहार	1041	48
			साल्हेतराई	960	48
			योग	**2001**	
पिथौरा	73	देवसराल	देवसराल	1213	44
			योग	**1213**	
पिथौरा	74	बड़ेटेमरी	बड़ेटेमरी	906	44
			बड़ेटेमरी पुराना टुकड़ा	103	44
			बड़ेटेमरी नकटीनाला	228	44
			बड़ेटेमरी भैसानाला टुकड़ा	69	44
			सानटेमरी	645	44
			सरीफाबाद	228	44
			बिजराभांठा	446	44
			योग	**2625**	

1	2	3	4	5	6
पिथौरा	75	बिजेमाल	बिजेमाल	763	41
			बिजेमाल टुकड़ा	65	41
			श्री रामपुर	350	41
			भजपुरी	673	41
			योग	**1851**	
पिथौरा	76	सावित्रीपुर	सावित्रीपुर	1789	41
			सावित्रीपुर टुकड़ा	286	41
			तिलंजनपुर	861	41
			योग	**2936**	
पिथौरा	77	ढाबाखार	ढाबाखार	1266	43
			भैरोपुर	662	43
			योग	**1928**	
पिथौरा	78	रेमड़ा	रेमड़ा	1846	43
			रेमड़ा टुकड़ा	371	43
			योग	**2217**	
पिथौरा	79	बामड़ाडीह	बामड़ाडीह	1237	42
			योग	**1237**	
पिथौरा	80	नरसिंगपुर	नरसिंगपुर	1003	42
			जर्रा	573	42
			योग	**1576**	
पिथौरा	81	जगदीशपुर	जगदीशपुर	914	38
			जगदीशपुर टुकड़ा अस्पताल	216	38
			जगदीशपुर टुकड़ा पुराना	298	38
			योग	**1428**	
पिथौरा	82	बोईरडीह	बोईरडीह	1419	39
			योग	**1419**	
पिथौरा	83	चनौरडीह	चनौरडीह	613	38
			चनौरडीह टुकड़ा (विरान)	0	38
			सीतापुर	919	38
			योग	**1532**	
पिथौरा	84	पिरदा	पिरदा	3370	37
			योग	**3370**	
पिथौरा	85	तरेकेला	तरेकेला	1336	36
			खैरझुड़ी	561	36
			योग	**1897**	
पिथौरा	86	बरेकेल	बरेकेल	677	36
			ब्राम्हणपुरी	573	36
			बाघमाड़ा	350	36
			योग	**1600**	

1	2	3	4	5	6
पिथौरा	87	सांईसरायपाली	सांईसरायपाली	636	35
			लावामौहा	335	35
			झांपीमौहा	422	35
			देवतराई	347	35
			योग	**1740**	
पिथौरा	88	रजपालपुर	रजपालपुर	830	34
			रजपालपुर टुकड़ा	42	34
			जाड़ामुड़ा	621	34
			जाड़ामुड़ा टुकड़ा (विरान)	**0**	34
			योग	**1493**	
पिथौरा	89	लिमदरहा	लिमदरहा	1029	34
			जोगीदादर	555	34
			योग	**1584**	
पिथौरा	90	बैतारी	बैतारी	434	33
			झाड़मुड़ा	419	33
			झाड़मुड़ा टुकड़ा	58	33
			डों[illegible]रीपाली	337	33
			योग	**1248**	
पिथौरा	91	भीखापाली	भीखापाली	983	40
			रामपुर	377	40
			रामपुर टुकड़ा	29	40
			राजपुर	692	40
			योग	**2081**	
पिथौरा	92	पथरला	पथरला	735	**33**
			तिलकपुर	454	**33**
			खम्हन	505	**33**
			मोहगांव	311	**33**
			योग	**2005**	
पिथौरा	93	जबलपुर	जबलपुर	774	32
			जबलपुर टुकड़ा नया	157	32
			ताला	691	32
			कोदवारीदादर	337	32
			योग	**1959**	
पिथौरा	94	आरंगी	आरंगी	485	32
			आरंगी टुकड़ा नया	78	32
			आरंगी टुकड़ा नया छोटा	176	32
			नरसैयापल्लम	395	32
			ठेलकोदादर	366	32
			योग	**1500**	

1	2	3	4	5	6
पिथौरा	95	परधिया सरायपाली	परधियासरायपाली	622	31
			दलालखार	337	31
			पंडरीपानी	413	31
			योग	**1372**	
पिथौरा	96	बम्हनी	बम्हनी	1606	31
			केशरपुर	512	31
			योग	**2118**	
पिथौरा	97	लाखागढ़	लाखागढ़	2842	10
			योग	**2842**	
पिथौरा	98	अठारहगुड़ी	अठारहगुड़ी	1551	4
			जंगलप्लाट	63	4
			योग	**1614**	
पिथौरा	99	लक्ष्मीपुर	लक्ष्मीपुर	1133	4
			योग	**1133**	
पिथौरा	100	सपोस	सपोस	922	8
			गबौद	540	8
			योग	**1462**	
पिथौरा	101	बल्दीडीह	बल्दीडीह	1123	8
			योग	**1123**	
पिथौरा	102	टेका	टेका	909	9
			सेवैयाकला	723	9
			योग	**1632**	
पिथौरा	103	डोंगरीपाली	डोंगरीपाली	1252	9
			योग	**1252**	
पिथौरा	104	जंघोरा	जंघोरा	924	12
			डिघेपुर	696	12
			योग	**1620**	
पिथौरा	105	बरतुंगा	बरतुंगा	1080	12
			योग	**1080**	
पिथौरा	106	कोल्दा	कोल्दा	1122	26
			योग	**1122**	
पिथौरा	107	नवागांवखुर्द	नवागांवखुर्द	576	26
			सेवाती	568	26
			योग	**1144**	
पिथौरा	108	चरौदा	चरौदा	1063	26
			योग	**1063**	
पिथौरा	109	परसदा	परसदा	785	26
			फरौदा	623	26
			योग	**1408**	

1	2	3	4	5	6
पिथौरा	110	छिन्दौली	छिन्दौली	1014	28
			योग	1014	
पिथौरा	111	बोईरलामी	बोईरलामी	1027	28
			योग	1027	
पिथौरा	112	सागुनढाप	सागुनढाप	969	46
			सागुनढाप टुकड़ा	120	46
			सागुनढाप टुकड़ा राजाकटेल	198	46
			योग	1287	
पिथौरा	113	पिपरौद	पिपरौद	668	46
			पिपरौद टुकड़ा (विरान)	0	46
			लोहरिनडोंगरी	638	46
			योग	1306	
पिथौरा	114	कोटगढ़	कोटगढ़	684	35
			कारीडोंगर	412	35
			योग	1096	
पिथौरा	115	भस्करापाली	भस्करापाली	506	35
			धुपेनडीह	566	35
			योग	1152	
पिथौरा	116	झगरेनडीह	झगरेनडीह	964	39
			झगरेनडीह टुकड़ा	44	38
			योग	1008	
पिथौरा	117	गोड़मर्रा	गोड़मर्रा	816	39
			देवलगढ़	658	39
			योग	1474	
पिथौरा	118	बरनईदादर	बरनईदादर	1748	40
			योग	1748	
पिथौरा	119	भतकुन्दा	भतकुन्दा	1153	40
			योग	1153	
			महायोग	196588	

सारणी

खण्ड का नाम	अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम के अन्तर्गत आने वाले गॉव/गॉवों का नाम	ग्राम की कुल जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6
बसना	1	रंगमटिया	रंगमटिया	641	1
„			लोटाखोलिया (विरान)	0	
„			तिलाईदादर	402	
„			स्वरूपपुर	203	
„			बिरेनडबरी	423	
		योग		**1669**	
„	2	बड़ेसाजापाली	बड़ेसाजापाली	2814	9
„			बड़ेसाजापाली टु (विरान)	0	
		योग		**2814**	
„	3	बुटीपाली	बुटीपाली	970	9
„			बुटीपाली टु (विरान)	0	
„			हेड़सपाली	711	
„			लोहारपाली	521	
		योग		**2202**	
„	4	भंवरचुंवा	भुवरचुंवा	1077	10
„			भुवरचुंवा टु	168	
		योग		**1245**	
बसना	5	सलखण्ड	सलखण्ड	1545	8
		योग		**1545**	
„	6	ढालम	ढालम	595	2
„			भुवनेश्वरपुर	138	
„			टांगापासा	224	
„			डोंगरीपाली	630	
		योग		**1587**	
„	7	चनाट	चनाट	1606	2
		योग		**1606**	
„	8	**दलदली**	दलदली	735	1
„			दलदली टु (विरान)	0	
„			बिलखण्ड	986	
„			गढ़गांव	626	
		योग		**2347**	
„	9	**अजगरखार**	अजगरखार	702	3
„			पसेरलेवा	339	
„			झारउड़ेला	406	
„			झारउड़ेला टु छोटा (विरान)	0	
„			झारउड़ेला टु बड़ा [illegible]	0	
		योग		**1447**	

1	2	3	4	5	6
,,	10	करनापाली	करनापाली	834	11
,,			करनापाली टु छोटा (विरान)	0	
,,			करनापाली टु बडा(विरान)	0	
,,			सागुनडीह	413	
		योग		**1247**	
बसना	11	माधोपाली	माधोपाली	999	12
,,			झालपाली	831	
,,			डोंगरीपाली	742	
		योग		**2572**	
,,	12	लम्बर	लम्बर	637	12
,,			छिर्राबाहरा	822	
		योग		**1459**	
,,	13	कुसमुर	कुसमुर	887	11
,,			ढूटीकोना	798	
,,			कांदाखोलिहा (विरान)	0	
		योग		**1685**	
,,	14	खोगसा	खोगसा	1105	14
,,			बम्हनीडीह	647	
,,			पलसाभाड़ी	509	
,,			बरहामुड़ा (विरान)	0	
		योग		**2261**	
,,	15	लोहड़ीपुर	लोहड़ीपुर	530	6
,,			लोहड़ीपुर टु (विरान)	0	
,,			पतेरापाली	614	
,,			सनबहाली	379	
		योग		**1523**	
,,	16	चिपरीकोना	चिपरीकोना	1567	6
		योग		**1567**	
,,	17	सरकण्डा	सरकण्डा	725	3
,,			पैता	584	
		योग	1309	**1309**	

1	2	3	4	5	6
,,	18	बिजराभांठा	बिजराभांठा	674	4
,,			बिजराभांठा टु छोटा (विरान)	0	
,,			बिजराभांठा टु बडा (विरान)	0	
,,			कलमीदादर	410	
,,			मिलाराबाद	336	
		योग		1420	
,,	19	रूपापाली	रूपापाली	1011	5
,,			पड़कीपाली	396	
,,			चपिया	285	
		योग		1692	
बसना	20	उड़ेला	उड़ेला	1156	5
,,			मुड़ीडीह	362	
		योग		1518	
,,	21	संतपाली	संतपाली	1379	14
		योग		1379	
,,	22	सुखापाली	सुखापाली	988	15
,,			पिलवापाली	569	
		योग		1557	
,,	23	सागरपाली	सागरपाली	937	16
,,			बंसुलीडीह	370	
			बिजराभांठा	411	
		योग		1718	
,,	24	रोहिना	रोहिना	952	13
,,			कांशीपाली	444	
		योग		1396	
,,	25	लोहरिनडीपा	लोहरिनडीपा	522	13
,,			भंवरादादर	568	
,,			टीपा	305	
		योग		1395	
,,	26	दुर्गापाली	दुर्गापाली	1120	16
,,			कापुडीह	707	
		योग		1827	
,,	27	बिरसिंगपाली	बिरसिंगपाली	751	17
,,			बुधुडोंगर	538	
		योग		1289	
,,	28	बिछिंया सा.	बिछिंया सा.	1570	18
		योग		1570	
,,	29	बरतियाभांठा	बरतियाभांठा	883	15
			बनंडबरी	518	
		योग		1401	

1	2	3	4	5	6
,,	30	भंवरपुर	भंवरपुर	3712	20
		योग		**3712**	
,,	31	पलसापाली	पलसापाली	700	21
,,			झारबंद	492	
,,			कांदाडोंगर	313	
		योग		**1505**	
बसना	32	चंदखुरी	चंदखुरी	631	21
,,			धामनघुटकुरी	647	
		योग		**1278**	
,,	33	नौगड़ी	नौगड़ी	1560	4
,,			नौगड़ी टु (विरान)	0	
,,			तरेकेरा उर्फ बावलीघुटकुरी	79	
,,			भौंरादादर	95	
		योग		**1734**	
,,	34	दुरूगपाली	दुरूगपाली	1487	22
,,			दुरूगपाली टु छोटा (विरान)	0	
,,			दुरूगपाली टु बडा	221	
,,			धुमाभांठा	705	
		योग		**2413**	
,,	35	कोलिहादेवरी	कोलिहादेवरी	921	22
,,			गोहेदादर	640	
		योग		**1561**	
,,	36	भैंसाखुरी	भैंसाखुरी	960	23
,,			कोदोपाली	333	
		योग		**1293**	
,,	37	बांराडोली	बाराडोली	1191	23
		योग		**1191**	
,,	38	धनापाली	धनापाली	729	24
,,			पितईपाली	370	
,,			परसकोल	250	
		योग		**1349**	
,,	39	कुम्हारी	कुम्हारी	582	20
,,			कर्राभौना	863	
,,			खुसरूपाली	491	
		योग		**1936**	
,,	40	उमरिया	उमरिया	1359	19
,,			कोलियारीडीह	718	
		योग		**2077**	

1	2	3	4	5	6
,,	41	मेढ़ापाली	मेढ़ापाली	806	19
,,			हरिलछापर	294	
,,			ठूठापाली	533	
		योग		**1633**	
,,	42	दुलारपाली	दुलारपाली	1196	17
,,			बेंदारी	585	
		योग		**1781**	
बसना	43	कोटेनदरहा	कोटेनदरहा	930	18
,,			छिर्रालेवा	338	
		योग		**1268**	
,,	44	गौरटेक	गौरटेक	1446	24
		योग		**1446**	
,,	45	जगत	जगत	953	29
			सकरी	784	
		योग		**1737**	
,,	46	गनेकेरा	गनेकेरा	1253	31
,,			नवागांव	845	
		योग		**2098**	
,,	47	बरगांव	बरगांव	562	31
,,			सराईपतेरा	444	
,,			गधाभांठा	613	
		योग		**1619**	
,,	48	रसोड़ा	रसोड़ा	2186	32
		योग		**2186**	
,,	49	छांदनपुर	छांदनपुर	1047	32
,,			जीराडबरी	847	
		योग		**1894**	
बसना	50	पौंसरा	पौंसरा	1140	29
,,			जलकोट	282	
		योग		**1422**	
,,	51	भूकेल	भूकेल	908	28
,,			गिधापाली	454	
		योग		**1362**	
,,	52	सिंघनपुर	सिंघनपुर	1912	25
		योग		**1912**	
,,	53	छुईपाली	छुईपाली	1277	25
			बैगनडीह	388	
		योग		**1665**	

1	2	3	4	5	6
,,	54	मोहका	मोहका	1210	26
,,			बोहारपार	773	
		योग		**1983**	
,,	55	बरबसपुर	बरबसपुर	759	26
,,			बानीपाली	928	
		योग		**1687**	
,,	56	खरोरा	खरोरा	956	27
,,			बरिहापाली	943	
		योग		**1899**	
,,	57	बड़ेटेमरी	बड़ेटेमरी	890	38
,,			छोटेटेमरी	651	
,,			डूमरपाली	532	
		योग		**2073**	
,,	58	गढ़पटनी	गढ़पटनी	1292	38
		योग		**1292**	
,,	59	बंसुला	बंसुला	3246	35
		योग		**3246**	
,,	60	अरेकेल	अरेकेल	2546	35
		योग		**2546**	
बसना	61	कुड़ेकेल	कुड़ेकेल	927	36
,,			जमड़ी	755	
		योग		**1682**	
,,	62	परसकोल	परसकोल	1229	37
		योग		**1229**	
,,	63	दुधीपाली	दुधीपाली	826	37
,,			सुरंगीपाली	469	
		योग		**1295**	
,,	64	बिछिंया पो.	बिछिंया पो.	911	36
,,			पोटापारा	736	
,,			पोटापारा टु (विरान)	0	
,,			मुड़पहार	298	
		योग		**1945**	
,,	65	केंवटापाली	केंवटापाली	1083	40
,,			आमाभौना	153	
		योग		**1236**	
,,	66	बड़ेडाभा	बड़ेडाभा	1781	39
,,			छोटेडाभा	347	
		योग		**2128**	
,,	67	छोटेपटनी	छोटेपटनी	1023	39
,,			सोनामुदी	369	
		योग		**1392**	

1	2	3	4	5	6
,,	68	चिमरकेल	चिमरकेल	1435	46
		योग		**1435**	
,,	69	देवरी	देवरी	950	46
,,			पिलवापाली	430	
		योग		**1380**	
,,	70	कायतपाली	कायतपाली	786	47
,,			लमकसा	312	
,,			कलकसा	201	
,,			पिपलीपाली	214	
		योग		**1513**	
,,	71	गढ़फुलझर	गढ़फुलझर	2105	45
		योग		**2105**	
,,	72	बरोली	बरोली	1534	40
		योग		**1534**	
,,	73	सरायपाली	सरायपाली	905	41
,,			चोरभट्ठी	273	
		योग		**1178**	
बसना	74	मेदनीपुर	मेदनीपुर	1369	41
,,			बंजारीडीपा (विरान)	0	
		योग		**1369**	
,,	75	कुरचुण्डी	कुरचुण्डी	1137	43
,,			कुरचुण्डी टु नया (विरान)	0	
,,			कुरचुण्डी टु पुराना (विरान)	0	
,,			कपसाखुंटा	781	
,,			केहरपुर	170	
		योग		**2088**	
,,	76	गणेशपुर	गणेशपुर	518	42
,,			इंदरपुर	960	
,,			जेवरा	636	
		योग		**2114**	
,,	77	कुदारीबाहरा	कुदारीबाहरा	668	42
,,			कुदारीबाहरा टु (विरान)	0	
,,			कुदारीबाहरा टु भगत (विरान)	0	
,,			कुदारीबाहरा टु बड़ा (विरान)	0	
,,			कुदारीबाहरा टु नया	401	
,,			केरामुण्डा	423	
,,			केरामुण्डा टु बसंतपुर	350	
		योग		**1842**	
,,	78	आमापाली	आमापाली	1074	43
,,			आमापाली टु (विरान)	0	
,,			हाड़ापथरा	729	
,,			हाड़ापथरा टु (विरान)	0	
		योग		**1803**	

1	2	3	4	5	6
,,	79	नानकसागर	नानकसागर	587	44
,,			अखराभांठा	299	
		योग		**886**	
,,	80	साल्हेझरिया	साल्हेझरिया	980	44
,,			अखराभांठा टु	408	
,,			अखराभांठा टु फुलवारी (विरान)	0	
		योग		**1388**	
बसना	81	ठाकुरपाली	ठाकुरपाली	1017	47
,,			बिरसिंगपाली	404	
		योग		**1421**	
,,	82	अंकोरी	अंकोरी	1393	48
		योग		**1393**	
,,	83	पलसापाली (अ)	पलसापाली (अ)	683	48
,,			पलसापाली टु (विरान)	0	
,,			परगला	620	
		योग		**1303**	
,,	84	बेलटिकरी	बेलटिकरी	618	8
,,			भूतहाबाहरा	647	
		योग		**1265**	
बसना	85	बुन्देलाभांठा	बुन्देलाभांठा	887	10
,,			बुन्देलाभांठा टु (विरान)	0	
,,			खुरदरहा	301	
		योग		**1188**	
,,	86	बनडबरी	बनडबरी	573	7
,,			बनडबरी टु (विरान)	0	
,,			भैंसाडूला टु (विरान)	0	
,,			ललितपुर	629	
,,			गायत्रीपुर	206	
		योग		**1408**	
,,	87	जमदरहा	जमदरहा	705	7
,,			जमनीडीह	687	
,,			भालूकोना	108	
		योग		**1500**	
,,	88	जोगीपाली	जोगीपाली	800	30
,,			भूलका	347	
		योग		**1147**	
,,	89	पठियापाली	पठियापाली	822	30
,,			हबेकांटा	529	
		योग		**1351**	
,,	90	खेमड़ा	खेमड़ा	2217	33
		योग		**2217**	
,,	91	बिटांगीपाली	बिटांगीपाली	541	33
,,			समनलोर	92	
,,			पदरडीह	597	
		योग		**1230**	

1	2	3	4	5	6
"	92	गिधली	गिधली	1033	27
"			भदरपाली	544	
		योग		**1577**	
"	93	बरपेलाडीह	बरपेलाडीह	641	28
"			खोरापाली	465	
		योग		**1106**	
"	94	केंवटापाली (बी)	केंवटापाली (बी)	569	8
"			मुनगाडीह	706	
		योग		**1275**	
"	95	हरदा	हरदा	826	10
			छातापठार	553	
"			छातापठार तुकड़ा	100	
		योग		**1479**	
"	96	कुरमाडीह	कुरमाडीह	1013	7
		योग		**1013**	
"	97	पुरूषोत्तमपुर	पुरूषोत्तमपुर	894	7
			केलवारडबरी	187	
		योग		**1081**	
"	98	चिर्राचुंवा	चिर्राचुंवा	596	30
			सराईपाली	222	
"			खवासपाली	390	
		योग		**1208**	
"	99	खटखटी	खटखटी	786	33
			गेर्रभांठा	390	
		योग		**1176**	
"	100	भठोरी	भठोरी	617	33
			पर्रापाठ	441	
		योग		**1058**	
"	101	बरडीह,	बरडीह	1001	27
		योग		**1001**	
"	102	गुढ़ियारी	गुढ़ियारी	716	28
			पिपलखुंटा	572	
		योग		**1288**	

	महायोग :–	**165272**	

सारणी

खण्ड का नाम	अनु.कमांक	ग्राम का नाम	ग्राम के अंतर्गत आने वाले गांव / गांवों का नाम	जनसंखया	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6
सरायपाली	1	आंवलाचक्का	आंवलाचक्का	1323	1
			पोटापारा	763	1
		योगः—		**2086**	
सरायपाली	2	बेहरापाली	बेहरापाली	607	1
			साजापाली	720	1
			छिर्रापाली	438	1
		योगः—		**1765**	
सरायपाली	3	मोहनमुण्डा	मोहनमुण्डा	1044	3
			काकेनचुवां	518	3
			पण्डरीपानी	417	3
		योगः—		**1979**	
सरायपाली	4	डुडुमचुंवा	डुडुमचुवां	1031	3
			मोहाडीपा	514	3
		योगः—		**1545**	
सरायपाली	5	कोसमपाली	कोसमपाली	1212	4
			रायपानी	244	4
		योगः—		**1456**	
सरायपाली	6	जम्हारी	जम्हारी	995	2
			लिमऊगुड़ा	612	2
		योगः—		**1607**	
सरायपाली	7	मुंधा	मुंधा	1115	2
			जोगीडीपा	538	2
		योगः—		**1653**	
सरायपाली	8	रिसेकेला	रिसेकेला	895	6
			बोंदापाली	463	6
			पलसापाली	754	6
		योगः—		**2112**	
सरायपाली	9	केदुवां	केदुवां	1380	6
		योगः—		**1380**	
सरायपाली	10	बिजातीपाली	बिजातीपाली	940	4
			तिलाईपाली	776	4
		योगः—		**1716**	
सरायपाली	11	नवागढ़	नवागढ़	1004	5
			डंगनिया	637	5
		योगः—		**1641**	

1	2	3	4	5	6
सरायपाली	12	दर्राभांठा	दर्राभांठा	539	5
			पेलागढ़	427	5
			पोड़ापाली	266	5
		योगः—		**1232**	
सरायपाली	13	बिरकोल	बिरकोल	1359	39
		योगः—		**1359**	
सरायपाली	14	बाराडोली	बाराडोली	1806	8
		योगः—		**1806**	
सरायपाली	15	बोड़ेसरा	बोड़ेसरा	983	39
			पलसापाली	900	39
		योगः—		**1883**	
सरायपाली	16	जलपुर	जलपुर	1226	7
		योगः—		**1226**	
सरायपाली	17	पाटसेन्द्री	पाटसेन्द्री	1510	7
		योगः—		**1510**	
सरायपाली	18	नवरंगपुर	नवरंगपुर	846	9
			चण्डीभौना	927	9
		योगः—		**1773**	
सरायपाली	19	चकरदा	चकरदा	1909	11
		योगः—		**1909**	
[illegible]	20	प्रेतेनडीह	प्रेतेनडीह	752	16
			बगईजोर	948	16
		योगः—		**1700**	
सरायपाली	21	कनकेवा	कनकेवा	1297	17
			कौहाकुण्डा	194	17
		योगः—		**1491**	
सरायपाली	22	केन्दुढार	केन्दुढार	1436	16
		योगः—		**1436**	
सरायपाली	23	बालसी	बालसी	2082	15
		योगः—		**2082**	
सरायपाली	24	भीखापाली	भीखापाली	1039	15
			कोकड़ी	612	15
		योगः—		**1651**	
सरायपाली	25	बानीगिरोला	बानीगिरोला	1873	11
		योगः—		**1873**	
सरायपाली	26	मोहदा	मोहदा	2206	9
		योगः—		**2206**	
सरायपाली	27	गिरसा	गिरसा	831	8
			डुमरपाली	602	8
		योगः—		**1433**	

1	2	3	4	5	6
सरायपाली	28	कंवरपाली	कंवरपाली	767	38
			घेंसपाली	374	38
सरायपाली	29	बोंदानवापाली	बोंदानवापाली	2691	12
		योगः—		2691	
सरायपाली	30	दमोदरहा	दमोदरहा	479	37
			कोकड़ी	408	37
			सिरशोभा	529	37
		योगः—		1416	
सरायपाली	31	परसकोल	परसकोल	366	38
			बोईरमाल	775	38
			छुईपाली	223	38
			दाऊगुढ़ी	279	38
			दलदली (विरान)	0	38
			बागबिल (विरान)	0	38
		योगः—		1643	
सरायपाली	32	लिमगांव	लिमगांव	860	37
			छिन्दपाली	1546	37
		योगः—		2406	
सरायपाली	33	लांती	लांती	874	47
			गहनाखार	433	47
		योगः—		1307	
सरायपाली	34	रूढ़ा	रूढ़ा	1125	47
			आकाशखार	329	47
		योगः—		1454	
सरायपाली	35	बटकी	बटकी	858	46
			लखनपुर	945	46
		योगः—		1803	
सरायपाली	36	चारभांठा	चारभांठा	1623	42
			सिंगबहाल	465	42
		योगः—		2088	
सरायपाली	37	कलेण्डा (सि)	कलेण्डा	1097	41
			जोगीदादर	397	41
			पिताम्बरपाली (विरान)	0	41
			ऑवलापाली (विरान)	0	41
		योगः—		1494	
सरायपाली	38	रक्सा	रक्सा	570	40
			तिहारीपाली	362	40
			मौलीखार	289	40
			खरनियाबहाल	234	40
		योगः—		1455	

1	2	3	4	5	6
सरायपाली	39	रिमजी	रिमजी	917	40
			कुर्मीपाली	651	40
			डोंगरीपाली	213	40
		योगः—		1781	
सरायपाली	40	भगतसरायपाली	भगतसरायपाली	737	41
			सुखापाली	351	41
			दर्रीपाली	333	41
		योगः—		1421	
सरायपाली	41	पण्डरीपानी	पण्डरीपानी	571	42
			कोईलबहाल	727	42
			गुठानीपाली	425	42
		योगः—		1723	
सरायपाली	42	चिवराकुटा	चिवराकुटा	903	44
			गनियारीपाली	433	44
			देवानगुढ़ी	46	44
			डोंगरक्सा	326	44
		योगः—		1708	
सरायपाली	43	बंदलीमाल	बंदलीमाल	642	43
			बलेण्डा	401	43
			गम्हारडीह	126	43
			बांदुपाली	207	43
		योगः—		1376	
सरागपाली	44	बांझापाली	बांझापाली	484	43
			मुरमुरी	471	43
			जोबा	272	43
		योगः—		1227	
सरायपाली	45	घाटकछार	घाटकछार	781	44
			छिबर्रा	799	44
			रेंहटीखोल	370	44
			साल्हेभाठा	80	44
			माकरमुता	223	44
		योगः—		2253	
सरायपाली	46	खरखरी	खरखरी	565	45
			सागरपाली	229	45
			पलसाभाड़ी	379	45
		योगः—		1173	
सरायपाली	47	सिंघोड़ा	सिंघोड़ा	1078	45
			दीवानपाली	344	45
			जामदल्खा	288	45
		योगः—		1710	

1	2	3	4	5	6
सरायपाली	48	छुईपाली	छुईपाली	1349	46
			बेलटिकरी	690	46
		योगः—		**2039**	
सरायपाली	49	घुंचापाली	घुंचापाली	699	49
			बांजीबहाल	908	49
		योगः—		**1607**	
सरायपाली	50	मल्दामाल	मल्दामाल	481	50
			कोदोपाली	299	50
			पड़कीपाली	733	50
			कस्तुराबहाल	778	50
		योगः—		**2291**	
सरायपाली	51	पतेरापाली	पतेरापाली	449	50
			सहजपानी	634	50
			समदरहा	383	50
			सरगु[illegible]नाठा	311	50
			गौरबहाली	187	50
			बम्हनी[illegible]ार	93	50
		योगः—		**2057**	
सरायपाली	52	राफेल	राफेल	872	49
			बागद्वारी	403	49
			परेवापाली	336	49
			डेबरीगढ़	39	49
		योगः—		**1650**	
सरायपाली	53	पुटका	पुटका	1133	48
			मानपाली	484	48
			बस्तीपाली	540	48
			दीवानपाली	91	48
		योगः—		**2248**	
सरायपाली	54	पैकिन	पैकिन	1648	48
			बनरडीह	196	48
		योगः—		**1844**	
सरायपाली	55	भोथलडीह	भोथलडीह	1500	35
			खम्हारपाली	881	35
		योगः—		**2381**	
सरायपाली	56	बैतारी	बैतारी	1432	36
		योगः—		**1432**	
सरायपाली	57	चट्टीगिरोला	चट्टीगिरोला	1177	36
		योगः—		**1177**	
सरायपाली	58	कुटेला	कुटेला	2059	19
		योगः—		**2059**	
सरायपाली	59	जोगनीपाली	जोगनीपाली	1933	19
		योगः—		**1933**	

1	2	3	4	5	6
सरायपाली	60	सानपंधी	सानपंधी	630	20
			बिलाईगढ़	601	20
		योगः—		**1231**	
सरायपाली	61	परसदा	परसदा	762	18
			लुकापारा	416	18
			हर्राटार	695	18
		योगः—		**1873**	
सरायपाली	62	केजुवां	केजुवां	1027	18
			मुड़पहार	692	18
		योगः—		**1719**	
सरायपाली	63	कसलबा	कसलबा	949	20
			बड़ेपंधी	678	20
		योगः—		**1627**	
सरायपाली	64	अर्जुण्डा	अर्जुण्डा	876	32
			खैरमाल	849	32
		योगः—		**1725**	
सरायपाली	65	देवलभाठा	देवलभाठा	1186	32
			खपरीडीह	953	32
		योगः—		**2139**	
सरायपाली	66	जलगढ़	जलगढ़	950	35
			नानकपाली	564	35
		योगः—		**1514**	
सरायपाली	67	कोदोगुढ़ा	कोदोगुढ़ा	633	34
			केसराटाल	646	34
			डोंगीझरन	402	34
		योगः—		**1681**	
सरायपाली	68	खैरझिटकी	खैरझिटकी	932	34
			सिंगारपुर	405	34
		योगः—		**1337**	
सरायपाली	69	किसड़ी	किसड़ी	1684	31
		योगः—		**1684**	
सरायपाली	70	तोरेसिंहा	तोरेसिंहा	2060	24
		योगः—		**2060**	
सरायपाली	71	कलेण्डा (छि)	कलेण्डा	968	24
			छिबर्रा	705	24
		योगः—		**1673**	
सरायपाली	72	तोषगांव	तोषगांव	2854	21
			मनंकी	545	21
		योगः—		**3399**	

1	2	3	4	5	6
सरायपाली	73	पझरापाली	पझरापाली	596	22
			जटाकन्हार	673	22
			बेलडीह	642	22
		योगः—		**1911**	
सरायपाली	74	भुथिया	भुथिया	1040	26
			कुल्लूडुंहा	82	26
			कुण्डापाली	358	26
			मोहगांव	366	26
		योगः—		**1846**	
सरायपाली	75	सेमलिया	सेमलिया	843	25
			नावगांव	689	25
			मुड़पहार	797	25
		योगः—		**2329**	
सरायपाली	76	सलडीह	सलडीह	1206	30
		योगः—		**1206**	
सरायपाली	77	कसडोल	कसडोल	1417	31
		योगः—		**1417**	
सरायपाली	78	बेलमुण्डी	बेलमुण्डी	1153	30
			साल्हेपाली	198	30
		योगः—		**1351**	
सरायपाली	79	अन्तरझोला	अन्तरझोला	910	29
			पाईकपारा	282	29
		योगः—		**1192**	
सरायपाली	80	कोटद्वारी	कोटद्वारी	1057	28
			नवापारा	526	28
		योगः—		**1583**	
सरायपाली	81	कुसमीसरार	कुसमीसरार	1418	25
			हरड़ासरार	265	25
			भुरसापाली	547	25
		योगः—		**2230**	
सरायपाली	82	बलौदा	बलौदा	2569	29
		योगः—		**2569**	
सरायपाली	83	गेर्रा	गेर्रा	722	51
			कालीदरहा	541	51
			कोकड़ी	369	51
		योगः—		**1632**	
सरायपाली	84	डुमरपाली	डुमरपाली	424	28
			सोनपुरी	43	28
			अमलडीह	528	28
			पलसापाली	356	28
			कटकपाली	13	28
		योगः—		**1364**	

1	2	3	4	5	6
सरायपाली	85	छिबर्रा	छिबर्रा	331	51
			सुकड़ा	370	51
			पुजारीपाली	251	51
			अमलीपदर	163	51
			पलसापाली	281	51
		योगः—		**1396**	
सरायपाली	86	बनोभाठा	*बनोभांठा*	465	52
			अर्तुण्डा	417	52
			तिलाईमाल	150	52
			कापुकुण्डा	433	52
		योगः—		**1465**	
सरायपाली	87	टेमरी	टेमरी	1288	52
			जामपाली	855	52
		योगः—		**2143**	
सरायपाली	88	खोखेपुर	खोखेपुर	798	27
			टिभूपाली	866	27
		योगः—		**1664**	
सरायपाली	89	सिरबोड़ा	सिरबोड़ा	810	27
			पोड़ागढ़	477	27
			छिर्राखार	201	27
		योगः—		**1488**	
सरायपाली	90	सिरपुर	सिरपुर	619	26
			पालीडीह	378	26
			कनपला	215	26
			कोलिहादेवरी	222	26
		योगः—		**1434**	
सरायपाली	91	अमरकोट	अमरकोट	1490	10
			बानीपाली	275	10
		योगः—		**1765**	
सरायपाली	92	नूनपानी	नूनपानी	1644	10
			केन्दुमुड़ी	552	10
		योगः—		**2196**	
सरायपाली	93	मोखापुटका	मोखापुटका	1178	17
		योगः—		**1178**	
सरायपाली	94	बैदपाली	बैदपाली	1078	12
		योगः—		**1078**	
सरायपाली	95	ईच्छापुर	ईच्छापुर	994	33
			टेंगनापाली	569	33
		योगः—		**1563**	
सरायपाली	96	केना	केना	1208	33
		योगः—		**1208**	

1	2	3	4	5	6
सरायपाली	97	गोहेरापाली	गोहेरापाली	1000	23
		योगः—		**1000**	
सरायपाली	98	लमकेनी	लमकेनी	952	22
			बेलडीहपठार	317	22
		योगः—		**1269**	
सरायपाली	99	राजाडीह	राजाडीह	629	23
			भालूकोना	481	23
		योगः—		**1110**	
सरायपाली	100	बरिहापाली	बरिहापाली	654	17
			लाखनपाली	535	17
		योगः—		**1189**	
सरायपाली	101	दर्राभाठा	दर्राभांठा	1277	12
		योगः—		**1277**	
सरायपाली	102	माधोपाली	माधोपाली	684	33
			सराईपतेरा	453	33
		योगः—		**1137**	
सरायपाली	103	अर्न्तला	अर्न्तला	825	23
			पंण्डापारा	620	23
		योगः—		**1445**	
सरायपाली	104	गिधामुण्डा	गिधामुण्डा	518	22
			सराईपाली	535	22
		योगः—		**1053**	
सरायपाली	105	जंगलबेडा	जंगलबेड़ा	1106	23
		योगः—		**1106**	

कार्यालय कलेक्टर, जिला-सरगुजा (छत्तीसगढ़)

अम्बिकापुर, दिनांक 21 जुलाई 2014

क्रमांक/04/पंचायत/जि.पं./2014.—छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-11-95-22 पं.-02, दिनांक 23 फरवरी 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 03/धारा 129 ख (1) के प्रावधानों के अधिन राजस्व जिला सरगुजा के कलेक्टर द्वारा संलग्न सारणी (जिसे इसके पश्चात् "सारणी" कहा गया है) के स्तंभ (4) में दर्शाये गये गांव या गांवों के समूह के लिए जिसकी जनसंख्या सारणी के स्तंभ (5) में दर्शायी गई है. सारणी के स्तंभ (3) में उल्लेखित नाम से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाता है तथा सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

इस स्थापित ग्राम में अधिनियम की धारा 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत का गठन किया जायेगा. इस प्रकार गठित ग्राम पंचायतों को अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत वर्णित अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक अन्य समस्त शक्तियां प्राप्त होगी.

रीतू सैन,
कलेक्टर.

सारणी

खण्ड का नाम	अनुक्रमांक	ग्राम का नाम	ग्राम के अंतर्गत आने वाले गांव/गांवो का नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6
अम्बिकापुर	1	खलिबा	खलिबा	1773	1
			योग :-	1773	
	2	चठिरमा	चठिरमा	945	1
			बढ़नीझरिया	701	1
			योग :-	1646	
	3	बलसेड़ी	बलसेढ़ी	897	1
			कुल्हाड़ी	736	2
			योग :-	1633	
	4	सकालो	सकालो	2056	2
			किशुननगर	656	2
			योग :-	2712	
	5	मेण्ड्राखुर्द	मेण्ड्राखुर्द	1371	2
			योग :-	1371	
	6	नर्मदापारा	नर्मदापारा	1418	3
			चिखलाडीह	452	3
			योग :-	1870	
	7	सरगवां	सरगवां	2533	3
			योग :-	2533	
	8	घंघरी	घंघरी	1370	4
			रूखपुर	558	4
			योग :-	1928	
	9	कंचनपुर	कंचनपुर	1124	4
			योग :-	1124	
	10	भफौली	भफौली	1256	5
			भिट्ठीखुर्द	767	5
			योग :-	2023	
	11	करम्हा	करम्हा	1099	5
			हसूली	780	5
			योग :-	1879	
	12	परसा	परसा	3313	6
			योग :-	3313	
	13	भकुरा	भकुरा	2411	6
			योग :-	2411	

1	2	3	4	5	6
	14	असोला	असोला	1410	7
			योग :–	1410	
	15	रजपुरीखुर्द	रजपुरीखुर्द	1192	7
			देवगढ़	942	7
			योग :–	2134	
	16	सोनपुरकला	सोनपुरकला	1304	8
			योग :–	1304	
	17	रनपुरखुर्द	रनपुरखुर्द	1730	8
			योग :–	1730	
	18	मलगवांखुर्द	मलगवांखुर्द	591	8
			रामनगर	540	8
			योग :–	1131	
	19	डिगमा	डिगमा	2116	9
			योग :–	2116	
	20	खैरबार	खैरबार	3274	12
			बधियांचुआ	671	13
			योग :–	3945	
	21	कांतिप्रकाशपुर	कांतिप्रकाशपुर	1855	14
			योग :–	1855	
	22	श्रीगढ़	श्रीगढ़	1142	13
			योग :–	1142	
	23	मानिकप्रकाशपुर	मानिकप्रकाशपुर	1726	14
			योग :–	1726	
	24	जगदीशपुर	जगदीशपुर	1196	15
			योग :–	1196	
	25	हर्राटिकरा	हर्राटिकरा	1598	16
			साड़बार	572	16
			योग :–	2170	
	26	केशवपुर	केशवपुर	1570	16
			योग :–	1570	
	27	सुन्दरपुर	सुन्दरपुर	1459	17
			योग :–	1459	
	28	माझापारा	माझापारा	1249	17
			योग :–	1249	
	29	थोर	थोर	1048	17
			झुमरपारा	417	17
			योग :–	1465	
	30	बकिरमा	बकिरमा	1820	18
			बांकीपुर	827	18
			योग :–	2647	
	31	कोलडिहा	कोलडिहा	1259	18
			योग :–	1259	

1	2	3	4	5	6
	32	लब्जी	लब्जी	2217	18
			योग :—	2217	
	33	फतेहपुर	फतेहपुर	1594	19
			योग :—	1594	
	34	सपना	सपना	1053	19
			धनगवां	752	19
			योग :—	1805	
	35	सुखरी	सुखरी	2252	20
			कालापारा	482	20
			सोनपुरखुर्द	473	20
			योग :—	3207	
	36	रनपुरकला	रनपुरकला	1729	20
			योग :—	1729	
	37	मेण्ड्राकला	मेण्ड्राकला	2065	21
			उदयपुरढाब	865	21
			योग :—	2930	
	38	मुड़ेसा	मुड़ेसा	1122	21
			कृष्णापुर	634	21
			योग :—	1756	
	39	भिट्ठीकला	भिट्ठीकला	2473	22
			योग :—	2473	
	40	रामपुर	रामपुर	1101	22
			योग :—	1101	
	41	चिताबहार	चिताबहार	948	23
			इन्द्रपुर	656	23
			योग :—	1604	
	42	सरईटिकरा	सरईटिकरा	1135	23
			नावाबांध	981	23
			योग :—	2116	
	43	बरढोढ़ी	बरढोढ़ी	1055	24
			बकमेर	592	24
			योग :—	1647	
	44	पोड़ीखुर्द	पोड़ीखुर्द	1135	24
			योग :—	1135	
	45	शिवपुर	शिवपुर	965	25
			योग :—	965	
	46	परसोड़ीखुर्द	परसोड़ीखुर्द	1037	25
			हरिहरपुर	704	25
			योग :—	1741	
	47	कतकालो	कतकालो	1765	26
			योग :—	1765	

1	2	3	4	5	6
	48	करजी	करजी	2499	26
			योग :—	**2499**	
	49	कंठी	कंठी	2395	27
			योग :—	**2395**	
	50	खाला	खाला	1376	27
			योग :—	**1376**	
	51	सोहगा	सोहगा	2353	28
			योग :—	**2353**	
	52	बकालो	बकालो	1219	28
			योग :—	**1219**	
	53	कुबेरपुर	कुबेरपुर	1348	29
			योग :—	**1348**	
	54	पोड़ीपा	पोड़ीपा	1135	29
			योग :—	**1135**	
	55	रेवापुर	रेवापुर	908	29
			लवईडीह	718	29
			योग :—	**1626**	
	56	सखौली	सखौली	1616	30
			आमादरहा	694	30
			बरकेला	673	30
			योग :—	**2983**	
	57	मोहनपुर	मोहनपुर	1076	30
			योग :—	1076	
	58	तिहपटरा	तिहपटरा	566	30
			महेशपुर	528	31
			योग :—	**1094**	
	59	पोड़ीकला	पोड़ीकला	2213	31
			योग :—	**2213**	
	60	कर्रा	कर्रा	2453	31
			योग :—	**2453**	
	61	अड़ची	अड़ची	1132	32
			योग :—	**1132**	
	62	टपरकेला	टपरकेला	1618	32
			योग :—	**1618**	
	63	कुनियाकला	कुनियाकला	978	33
			कल्याणपुर	477	33
			योग :—	**1455**	
	64	रकेली	रकेली	1715	33
			योग :—	**1715**	
	65	नावानगर	नावानगर	2432	34
			योग :—	**2432**	

1	2	3	4	5	6
	66	नावापाराकला	नावापाराकला	1174	34
			योग :—	1174	
	67	कुम्हरता	कुम्हरता	1531	35
			योग :—	1531	
	68	पंपापुर	पंपापुर	1619	35
			योग :—	1619	
	69	ससकालो	ससकालो	1047	36
			नवगई	384	36
			योग :—	1431	
	70	खजुरी	खजुरी	1687	36
			योग :—	1687	
	71	करेयां	करेयां	1228	37
			योग :—	1228	
	72	महुआटिकरा	महुआटिकरा	713	37
			किशुनपुर	383	37
			योग :—	1096	
	73	कलगसा	कलगसा	999	38
			योग :—	999	
	74	लिबरा	लिबरा	1194	38
			योग :—	1194	
	75	दरिमा	दरिमा	2824	39
			योग :—	2824	
	76	कोटेया	कोटेया	1928	39
			योग :—	1928	
	77	छिन्दकालो	छिन्दकालो	1688	40
			योग :—	1688	
	78	नावापाराखुर्द	नावापाराखुर्द	927	40
			भालुकछार	815	40
			योग :—	1742	
	79	मोतीपुर	मोतीपुर	961	41
			बरगई	920	41
			योग :—	1881	
	80	बरगवां	बरगवां	2415	41
			परसापाली	550	41
			योग :—	2965	
	81	नानदमाली	नानदमाली	2410	42
			योग :—	2410	
	82	बड़ादमाली	बड़ादमाली	3038	42
			योग :—	3038	

1	2	3	4	5	6
	83	जोगीबांध	जोगीबांध	786	22
			केराकछार	499	24
			योग :—	1285	
	84	सोनबरसा	सोनबरसा	967	32
			योग :—	967	
	85	बरटिकरा	बरटिकरा	1013	25
			योग :—	1013	
	86	बकनाखुर्द	बकनाखुर्द	994	4
			योग :—	994	
लखनपुर	1	खुटिया	खुटिया	1043	1
			योग :—	1043	
	2	गेतरा	गेतरा	1758	1
			योग :—	1758	
	3	लैंगा	लैंगा	1394	1
			पथरी	364	1
			योग :—	1758	
	4	निम्हा	निम्हा	1331	2
			मुटकी	806	2
			योग :—	2137	
	5	पोतका	पोतका	1850	2
			योग :—	1850	
	6	जमगला	जमगला	2550	3
			योग :—	2550	
	7	लटोरी	लटोरी	2452	3
			रामपुर	465	3
			योग :—	2917	
	8	कोरजा	कोरजा	2196	4
			योग :—	2196	
	9	बिनकरा	बिनकरा	1409	4
			योग :—	1409	
	10	बगदर्री	बगदर्री	1363	5
			योग :—	1363	
	11	गुमगराकला	गुमगराकला	1509	5
			योग :—	1509	
	12	कटकोना	कटकोना	1303	6
			योग :—	1303	
	13	परसोडीकला	परसोडीकला	1464	6
			योग :—	1464	

1	2	3	4	5	6
	14	**पीपरखार**	पीपरखार	834	7
			अमेरा	452	7
			योग :–	1286	
	15	**लहपटरा**	लहपटरा	1882	7
			योग :–	1882	
	16	**सिरकोतंगा**	सिरकोतंगा	1450	8
			योग :–	1450	
	17	**पुहपुटरा**	पुहपुटरा	3454	8
			योग :–	3454	
	18	**गणेशपुर**	गणेशपुर	1709	9
			जनकपुर	40	9
			योग :–	1749	
	19	गोरता	गोरता	1718	9
			भरतपुर	675	9
			जोधपुर	898	9
			योग :–	3291	
	20	**उमरौली**	उमरौली	748	10
			कंचनपुर	404	10
			योग :–	1152	
	21	**जयपुर(ख)**	जयपुर(ख)	1018	10
			योग :–	1018	
	22	तराजू	तराजू	1394	10
			योग :–	1394	
	23	**अंधला**	अंधला	2977	11
			योग :–	2977	
	24	कुवंरपुर	कुवंरपुर	1728	11
			हंसडांड	362	11
			योग :–	2090	
	25	नरकालो	नरकालो	805	12
			जुडवानी	793	12
			चुहकनडांड	531	12
			योग :–	2129	
	26	अमगसी	अमगसी	1346	12
			बनखेता	143	12
			योग :–	1489	

1	2	3	4	5	6
	27	केवरा	केवरा	1510	14
			योग :—	1510	
	28	रजपुरीकला	रजपुरीकला	2132	14
			योग :—	2132	
	29	सिंगीटाना	सिंगीटाना	1143	15
			योग :—	1143	
	30	सलका	सलका	3343	15
			योग :—	3343	
	31	मुकुन्दपुर	मुकुन्दपुर	832	16
		पर्री	पर्री	841	16
			योग :—	1673	
	32	जयपुर	जयपुर	1173	16
			योग :—	1173	
	33	इरगंवा	इरगंवा	1040	17
			मलगंवा	478	17
			मझगांव	8	17
			योग :—	1526	
	34	अमलभिट्टी	अमलभिट्टी	2397	17
			योग :—	2397	
	35	बेलखरिखा	बेलखरिखा	2025	18
			योग :—	2025	
	36	तुरना	तुरना	1878	18
			योग :—	1878	
	37	केवरी	केवरी	1343	19
			योग :—	1343	
	38	अमदला	अमदला	1059	19
			योग :—	1059	
	39	बेलदगी	बेलदगी	2148	20
			अलगा	260	20
			योग :—	2408	
	40	कोसगा	कोसगा	1846	20
			योग :—	1846	
	41	बंधा	बंधा	1317	21
			योग :—	1317	

1	2	3	4	5	6
	42	कटिन्दा	कटिन्दा	1985	21
			बगडैवा (वनग्राग)	.	—
			योग :—	1985	
	43	मांजा	मांजा	1420	22
			योग :—	1420	
	44	चोडेया	चोडेया	821	22
			तुरगा	512	22
			योग :—	1333	
	45	लोसगी	लोसगी	1223	23
			योग :—	1223	
	46	लोसगा	लोसगा	1424	23
			रेम्हेला	701	23
			योग :—	2125	
	47	चांदो	चांदो	767	24
			सोयदा	419	24
			योग :—	1186	
	48	तुनगुरी	तुनगुरी	1457	24
			योग :—	1457	
	49	कुसू	कुसू	1468	25
			योग :—	1468	
	50	जमगंवा	जमगंवा	1302	25
			योग :—	1302	
	51	पुटा	पुटा	1153	26
			गोरियापीपर	411	26
			योग :—	1564	
	52	प्रतापपुर	प्रतापपुर	998	26
			धनौरा	684	26
			योग :—	1682	
	53	सकरिया	सकरिया	932	27
			सेलरा	211	27
			योग :—	1143	
	54	लब्जी	लब्जी	711	27
			कोटबर्रा	320	27
			जामा	308	27
			योग :—	1339	

1	2	3	4	5	6
	55	कुन्नी	कुन्नी	1400	28
			योग :—	1400	
	56	पोंडी	पोंडी	1056	28
			केनापारा	672	28
			योग :—	1728	
	57	करई	करई	783	29
			जमदर्रा	477	29
			योग :—	1260	
	58	लिपिंगी	लिपिंगी	1427	29
			योग :—	1427	
	59	तिरकेला	तिरकेला	1714	30
			योग :—	1714	
	60	अरगोती	अरगोती	1665	30
			योग :—	1665	
	61	ढोढाकेसरा	ढोढाकेसरा	1009	31
			योग :—	1009	
	62	डाडकेसरा	डाडकेसरा	723	31
			योग :—	723	
	63	पटकुरा	पटकुरा	1725	31
			योग :—	1725	
	64	गुमगराखुर्द	गुमगराखुर्द	931	5
			योग :—	931	
	65	पलगडी	पलगडी	939	15
			योग :—	939	
	66	तुंगा	तुंगा	834	28
			योग :—	834	
	67	टपरकेला	टपरकेला	842	19
			योग :—	842	
	68	बिनिया	बिनिया	555	31
			जिवलिया	393	31
			योग :—	948	
	69	जूनाडीह	जूनाडीह	936	21
			योग :—	936	
उदयपुर	1	शंकरपुर	शंकरपुर	1349	1
			योग	1349	

1	2	3	4	5	6
	2	करौन्दी	करौन्दी	1405	1
			योग	1405	
	3	तोलगा	तोलगा	1133	2
			योग	1133	
	4	जामडीह	जामडीह	584	2
			हनुमानगढ	506	2
			योग	1090	
	5	देवटिकरा	देवटिकरा	940	2
			रकेली	574	2
			योग	1514	
	6	कलचा	कलचा	1088	3
			भदवाही	822	3
			योग	1910	
	7	खम्हरिया	खम्हरिया	1489	3
			योग	1489	
	8	नुनेरा	नुनेरा	1973	4
			योग	1973	
	9	रीखी	रीखी	1760	4
			योग	1760	
	10	ललाती	ललाती	976	5
			घुचापुर	727	5
			योग	1703	
	11	खरसुरा	खरसुरा	1412	5
			योग	1412	
	12	खोंधला	खोंधला	1257	6
			योग	1257	
	13	पलका	पलका	1750	6
			योग	1750	
	14	खोडरी	खोडरी	821	6
			जरहाडीह	225	9
			योग	1046	
	15	सरगवां	सरगवां	842	7
			रजबांध	561	7
			योग	1403	
	16	सलका	सलका	2079	7
			योग	2079	
	17	चैनपुर	चैनपुर	1520	8
			योग	1520	

1	2	3	4	5	6
	18	कंवलगिरी	कंवलगिरी	1198	8
			योग	1198	
	19	केशगवां	केशगवां	1480	9
			योग	1480	
	20	जजगा	जजगा	2223	9
			योग	2223	
	21	मोहनपुर	मोहनपुर	2059	10
			योग	2059	
	22	मानपुर	मानपुर	714	10
			महेशपुर	733	10
			फुनगी	270	10
			योग	1717	
	23	उदयपुर	उदयपुर	2771	11
			योग	2771	
	24	झिरमिटी	झिरमिटी	2066	11
			योग	2066	
	25	सोनतराई	सोनतराई	763	12
			डूमरडीह	835	12
			मृगाडांड (वनग्राम)	0	12
			योग	1598	
	26	दावा	दावा	463	12
			मनोहरपुर	292	12
			कोटमी	355	12
			योग	1110	
	27	फुलचुही	फुलचुही	673	13
			डोई	879	13
			योग	1552	
	28	मुडगांव	मुडगांव	1642	13
			योग	1642	
	29	डांडगांव	डांडगांव	2179	14
			योग	2179	
	30	पंडरीडांड	पंडरीडांड	946	14
			भंडारगांव	502	14
			योग	1448	
	31	गुमगा	गुमगा	1533	15
			योग	1533	
	32	सलबा	सलबा	803	15
			बोगरू	319	15
			दौलतपुर	365	15
			योग	1487	

1	2	3	4	5	6
	33	परसा	परसा	1085	16
			योग	1085	
	34	बासेन	बासेन	570	16
			केते	561	16
			योग	1131	
	35	साल्ही	साल्ही	1315	16
			हरिहरपुर	298	16
			योग	1613	
	36	घाटबर्रा	घाटबर्रा	1395	17
			सैदू	119	17
			सुसकम	118	17
			परोगिया	322	17
			फतेपुर	469	17
			योग	2423	
	37	पेण्डरखी	पेण्डरखी	841	17
			पहाडकोरजा	146	17
			योग	987	
	38	बकोई	बकोई	483	17
			खुझी	241	17
			योग	724	
	39	रामनगर	रामनगर	812	18
			फुनगी	270	10
			योग	1082	
	40	चकेरी	चकेरी	1068	18
			तेन्दूटिकरा	421	18
			सरमा	261	18
			योग	1750	
	41	लक्ष्मणगढ	लक्ष्मणगढ	1518	19
			योग	1518	
	42	सानीबर्रा	सानीबर्रा	842	19
			सुखरीभंडार	377	19
			सेमीघोघरा(वनग्राम)	0	19
			योग	1219	
	43	सायर	सायर	1151	20
			योग	1151	
	44	कुमडेवा	कुमडेवा	1543	20
			योग	1543	
	45	केदमा	केदमा	1126	21
			बड़ेगाव	464	21

1	2	3	4	5	6
			पनगोती	240	21
			योग	1830	
	46	**भकुरमा**	भकुरमा	1235	21
			बुले	674	21
			योग	1909	
	47	**केसमा**	केसमा	1090	22
			लालपुर	269	22
			वनकेसमा (वनग्राम)	0	22
			योग	1359	
	48	**मरेया**	मरेया	751	22
			कुंडेली	294	22
			योग	1045	
	49	**सीतकालो**	सीतकालो	525	22
			मतरिंगा	390	22
			योग	915	
	50	**नारायणपुर**	**नारायणपुर**	409	13
			कठमुडा	482	13
			योग	891	
	51	**पुटा**	**पुटा**	1267	18
			बेलढाब (वनग्राम)	0	18
			योग	1267	
	52	**पंडरीपानी**	**पंडरीपानी**	723	12
			विसुनपुर	198	12
			योग	921	
	53	**नमना**	**नमना**	969	1
			योग	969	
लुण्ड्रा	1	**चंगोरी**	चंगोरी	950	1
			चंदेश्वरपुर	626	1
			योग :-	1576	
	2	**पड़ोली**	पडोली	1213	1
			डुमकी	849	1
			योग :-	2062	
	3	**कर्रा**	कर्रा	1305	2
			योग :-	1305	
	4	**अमड़ी**	अमड़ी	992	2
			किशुनपुर	601	2
			योग :-	1593	
	5	**बबौली**	बबौली	1230	3

1	2	3	4	5	6
			जमोनी	510	3
			योग :—	1740	
	6	बिल्हमा	बिल्हमा	1662	3
			योग :—	1662	
	7	जोरी	जोरी	1786	4
			योग :—	1786	
	8	आसनडीह	आसनडीह	725	4
			रघुपुर	733	4
			योग :—	1458	
	9	धौरपुर	धौरपुर	892	5
			मसगा	530	5
			भिलाईकला	257	5
			योग :—	1679	
	10	कुदर	कुदर	1169	5
			योग :—	1169	
	11	दुन्दु	दुन्दु	961	6
			सरईडीह	593	6
			योग :—	1554	
	12	करोली	करोली	1735	6
			योग :—	1735	
	13	छेरमुण्डा	छेरमुण्डा	835	7
			देवरी	770	7
			योग :—	1605	
	14	ककनी	ककनी	530	7
			कछार	1016	7
			योग :—	1995	
	15	डूमरडीह	डूमरडीह	2125	8
			योग :—	2125	
	16	रवई	रवई	1222	8
			योग :—	1222	
	17	चितरपुर	चितरपुर	1686	9
			योग :—	1686	
	18	सपड़ा	सपड़ा	716	9
			भेड़िया	1022	9
			योग :—	1738	
	19	कोयलारी	कोयलारी	813	10
			किरकिमा	606	10
			चलगली	543	10
			योग :—	1962	

1	2	3	4	5	6
	20	गगौली	गगौली	784	10
			घघरी	591	10
			योग :—	1375	
	21	गुजरवार	गुजरवार	1012	11
			योग :—	1012	
	22	नागम	नागम	1481	11
			योग :—	1481	
	23	रीरी	रीरी	503	11
			पसेना	788	11
			योग :—	1291	
	24	पटोरा	पटोरा	2071	12
			योग :—	2071	
	25	सहनपुर	सहनपुर	1444	12
			योग :—	1444	
	26	जमीरा	जमीरा	716	13
			बतौली	587	13
			खुरनडीह	544	13
			योग :—	1847	
	27	सखौली	सखौली	1574	13
			योग :—	1574	
	28	बरकोल	बरकोल	1233	14
			योग :—	1233	
	29	बरडीह	बरडीह	1638	14
			योग :—	1638	
	30	कुन्दीकला	कुन्दीकला	1857	15
			योग :—	1857	
	31	सेमरडीह	सेमरडीह	1266	15
			बकिला	360	15
			योग :—	1626	
	32	केपी	केपी	1114	16
			अजिरमाकला	850	16
			योग :—	1964	
	33	डकई	डकई	1888	16
			योग :—	1888	
	34	कोरीमा	कोरीमा	1032	17
			बांसा	663	17
			योग :—	1695	
	35	जमड़ी	जमड़ी	672	17

1	2	3	4	5	6
			करदोनी	781	17
			योग :—	1453	
	36	बकनाकला	बकनाकला	1962	18
			योग :—	1962	
	37	राता	राता	1057	18
			योग :—	1057	
	38	बदगरी	बदगरी	1053	18
			योग :—	1053	
	39	सुमेरपुर	सुमेरपुर	980	19
			दर्रीडीह	571	19
			योग :—	1551	
	40	लालमाटी	लालमाटी	967	19
			गंझाडांड	441	19
			योग :—	1408	
	41	रघुनाथपुर	रघुनाथपुर	939	20
			सायरराई	923	20
			योग :—	1862	
	42	बटवाही	बटवाही	3379	20
			योग :—	3379	
	43	पुरकेला	पुरकेला	853	21
			सिकिलमा	651	21
			योग :—	1504	
	44	उंचडीह	उंचडीह	961	21
			गंगापुर	1104	21
			योग :—	2065	
	45	कोट	कोट	2730	22
			योग :—	2730	
	46	लमगांव	लमगांव	2200	22
			योग :—	2200	
	47	असकला	असकला	1938	23
			योग :—	1938	
	48	सिलसिला	सिलसिला	2134	23
			योग :—	2134	
	49	जरहाडीह	जरहाडीह	1752	24
			चोरकीडीह	729	24
			योग :—	2481	

1	2	3	4	5	6
	50	बुलगा	बुलगा	1657	24
			योग :—	1657	
	51	उदारी	उदारी	3658	25
			योग :—	3658	
	52	डडगांव	डडगांव	1680	25
			योग :—	1680	
	53	चिरगा	चिरगा	1151	26
			उपरपोड़ी	757	26
			योग :—	1908	
	54	खालपोड़ी	खालपोड़ी	936	26
			करगीडीह	346	26
			चलगली	595	26
			योग :—	1877	
	55	करेसर	करेसर	806	27
			आमगांव	612	27
			योग :—	1418	
	56	लुण्ड्रा	लुण्ड्रा	1232	27
			कराकी	582	27
			योग :—	1814	
	57	डहोली	डहोली	768	28
			बहेराडीह	640	28
			योग :—	1708	
	58	ससौली	ससौली	1590	28
			योग :—	1590	
	59	दोरना	दोरना	1224	29
			योग :—	1224	
	60	महोरा	महोरा	1269	29
			योग :—	1269	
	61	गढ़बीरा	गढ़बीरा	1047	30
			तुरियाबीरा	975	30
			योग :—	2022	
	62	झेराडीह	झेराडीह	2400	30
			योग :—	2400	
	63	बरगीडीह	बरगीडीह	1272	31
			पार्वतीपुर	752	31
			योग :—	2024	
	64	खाराकोना	खाराकोना	1531	31
			गाजरमुंड़ा	394	31
			योग :—	1925	

1	2	3	4	5	6
	65	जामडीह	जामडीह	477	32
			पतराडीह	569	32
			राईकला	603	32
			योग :—	1649	
	66	उरदरा	उरदरा	1029	32
			योग :—	1029	
	67	कोरंधा	कोरंधा	975	32
			बरौली	233	33
			योग :—	1208	
	68	जराकेला	जराकेला	479	33
			राईखुर्द	660	33
			योग :—	1139	
	69	गेरसा	गेरसा	1198	33
			कुदर	436	33
			योग :—	1634	
	70	अगासी	अगासी	842	12
			नवडीहा	449	7
			योग :—	1291	
सीतापुर	1	देवगढ़	देवगढ़	4370	1
			योगः—	4370	
	2	सोनतराई	सोनतराई	2430	2
			बमलाया	976	2
			योगः—	3406	
	3	आमाटोली	आमाटोली	1714	2
			योगः—	1714	
	4	भंवराडाड़	भंवराडाड़	1072	2
			योगः—	1072	
	5	रायकेरा	रायकेरा	2723	3
			योगः—	2723	
	6	भूसू	भूसू	1805	3
			परसा	433	3
			योगः—	2238	
	7	सहनपुर	सहनपुर	1382	4
			योगः—	1382	
	8	रजपुरी	रजपुरी	1548	4
			योगः—	1548	
	9	ढेकिडोली	ढेकिडोली	1151	5
			योगः—	1151	

1	2	3	4	5	6
	10	बगडोली	बगडोली	1136	5
			योगः—	1136	
	11	नावापारा	नावापारा	1258	5
			योगः—	1258	
	12	एरण्ड	एरण्ड	1136	5
			योगः—	1136	
	13	गिरहूलडीह	गिरहूलडीह	2019	6
			बेनई	686	6
			योगः—	2705	
	14	भरतपुर	भरतपुर	1545	6
			योगः—	1545	
	15	गेरसा	गेरसा	2904	7
			योगः—	2904	
	16	सरगा	सरगा	2281	7
			योगः—	2281	
	17	ललितपुर	ललितपुर	1976	8
			योगः—	1976	
	18	रजौटी	रजौटी	2452	8
			योगः—	2452	
	19	खड़ादोरना	खड़ादोरना	1373	9
			योगः—	1890	
	20	मूरता	मूरता	518	9
			लंगड़ासाड़	513	9
			योगः—	1031	
	21	बेलजोरा	बेलजोरा	1687	9
			सुरेशपुर	726	9
			योगः—	2413	
	22	ढेलसरा	ढेलसरा	1900	10
			योगः—	1900	
	23	धरमपुर	धरमपुर	1344	10
			योगः—	1344	
	24	भिठुआ	भिठुआ	1560	11
			योगः—	1560	
	25	चलता	चलता	828	12
			हर्राटिकरा	686	12
			योगः—	1514	
	26	सूर	सूर	4403	12
			योगः—	4403	

1	2	3	4	5	6
	27	राधापुर	राधापुर	2203	13
			योगः—	2203	
	28	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	1921	13
			योगः—	1921	
	29	बेलगांव	बेलगांव	1361	14
			योगः—	1361	
	30	गुतुरमा	गुतुरमा	1804	14
			योगः—	1804	
	31	लिचिरमा	लिचिरमा	1208	14
			योगः—	1208	
	32	उलकिया	उलकिया	4019	15
			योगः—	4019	
	33	हल्दीसांड़	हल्दीसांड़	788	15
			जामझरिया	430	15
			तेन्दूडाड़	392	15
			योगः—	1610	
	34	आरा	आरा	2316	16
			योगः—	2316	
	35	बनेया	बनेया	2008	16
			योगः—	2008	
	36	शिवनाथपुर	शिवनाथपुर	1419	17
			योगः—	1419	
	37	पेटला	पेटला	4360	17
			योगः—	4360	
	38	ढोढ़ागांव	ढोढ़ागांव	2121	18
			योगः—	2121	
	39	बंशीपुर	बंशीपुर	1287	18
			योगः—	1287	
	40	कुनमेरा	कुनमेरा	3226	19
			योगः—	3226	
	41	केरजू	केरजू	3372	19
			योगः—	3372	
	42	बमलाया	बमलाया	976	2
			योगः—	976	
बतौली	1	गहिला	गहिला	2088	1
			योगः—	2088	
	2	बेलकोटा	बेलकोटा	1188	1
			योगः—	1188	

1	2	3	4	5	6
	3	झरंगवा	झरंगवा	1120	2
			उमापुर	623	2
			योगः—	1743	
	4	देवरी	देवरी	1414	2
			योगः—	1414	
	5	मांजा	मांजा	955	3
			कालीपुर	976	3
			योगः—	1931	
	6	चिरंगा	चिरंगा	2308	3
			योगः—	2308	
	7	करदना	करदना	945	4
			लैगु	492	4
			योगः—	1437	
	8	भटको	भटको	2199	4
			योगः—	2199	
	9	गोविन्दपुर	गोविन्दपुर	1218	5
			योगः—	1218	
	10	सेदम	सेदम	1371	5
			योगः—	1371	
	11	चिपरकाया	चिपरकाया	1211	6
			योगः—	1211	
	12	पोकसरी	पोकसरी	3216	6
			योगः—	3216	
	13	बालमपुर	बालमपुर	591	7
			डुमरभावना	803	7
			रतनपुर	417	7
			योगः—	1811	
	14	विशुनपुर	विशुनपुर	1087	7
			योगः—	1087	
	15	मंगारी	मंगारी	2985	8
			योगः—	2985	
	16	सुवारपारा	सुवारपारा	1556	8
			योगः—	1556	
	17	बासेन	बासेन	667	9
			सरस्वतीपुर	531	9
			पथरई	788	9
			योगः—	1986	

1	2	3	4	5	6
	18	कुनकुरी	कुनकुरी	2083	9
			योगः–	2083	
	19	बतौली	बतौली	2216	10
			योगः–	2216	
	20	खडधोवा	खडधोवा	1398	10
			योगः–	1398	
	21	बिलासपुर	बिलासपुर	1872	11
			योगः–	1872	
	22	सिलमा	सिलमा	1667	11
			पोपरेगा	957	11
			योगः–	2624	
	23	मानपुर	मानपुर	1285	12
			योगः–	1285	
	24	टेडगा	टेडगा	1105	12
			योगः–	1105	
	25	शिवपुर	शिवपुर	1112	12
			योगः–	1112	
	26	सल्याडीह	सल्याडीह	802	13
			कुडकेल	802	13
			कुछारडीह	544	13
			योगः–	2148	
	27	घोघरा	घोघरा	1856	13
			योगः–	1856	
	28	बासांझाल	बासांझाल	1637	14
			योगः–	1637	
	29	टीरंग	टीरंग	1059	14
			चवरपानी	490	14
			योगः–	1549	
	30	तरागी	तरागी	863	15
			जरहाडीह	745	15
			योगः–	1608	
	31	बोदा	बोदा	1821	15
			योगः–	1821	
	32	घुटारापारा	घुटारापारा	1184	16
			योगः–	1184	
	33	ललाती	ललाती	1075	16
			योगः–	1075	
	34	सरमना	सरमना	1940	16
			योगः–	1940	
	35	बिरीमकेला	बिरीमकेला	1372	17

1	2	3	4	5	6
			नयाबांध	520	17
			बैजनाथपुर	111	17
			योगः—	2003	
	36	महेशपुर	महेशपुर	1910	17
			योगः—	1910	
	37	नकना	नकना	1358	18
			योगः—	1358	
	38	बटईकेला	बटईकेला	1874	18
			योगः—	1874	
	39	तेलईधार	तेलईधार	2348	19
			योगः—	2348	
	40	कपाटबहरी	कपाटबहरी	1489	19
			योगः—	1489	
मैनपाट	1	समनियां	समनियां	888	1
			योगः—	888	
	2	आमगॉव	आमगॉव	989	1
			योगः—	989	
	3	कदनई	कदनई	1363	1
			योगः—	1363	
	4	बिसरपानी	बिसरपानी	1175	2
			योगः—	1175	
	5	करम्हा	करम्हा	946	2
			योगः—	946	
	6	गुपलगा	गुपलगा	1568	2
			योगः—	1568	
	7	पैगा	पैगा	1239	3
			योगः—	1239	
	8	असगवॉ	असगवॉ	1265	3
			योगः—	1265	
	9	परपटिया	परपटिया	2115	3
			योगः—	2115	
	10	सरभंजा	सरभंजा	1663	4
			ललैया	442	4
			योगः—	2105	
	11	लुरैना	लुरैना	1514	4
			योगः—	1514	
	12	कमलेश्वरपुर	कमलेश्वरपुर	1036	5
			योगः—	1036	

1	2	3	4	5	6
	13	कुदारीडीह	कुदारीडीह	1624	5
			योगः—	1624	
	14	केसरा	केसरा	1834	5
			पथरई	659	5
			योगः—	2493	
	15	सपनादर	सपनादर	976	6
			योगः—	976	
	16	रोपाखार	रोपाखार	2176	6
			योगः—	2176	
	17	कुनियां	कुनियां	2496	7
			योगः—	2496	
	18	बरिमा	बरिमा	2115	7
			उरंगा	487	7
			योगः—	2602	
	19	नर्मदापुर	नर्मदापुर	6516	8
			कण्डराजा	491	8
			योगः—	7007	
	20	कोट	कोट	4409	9
			योगः—	4409	
	21	जजगा	जजगा	2961	10
			योगः—	2961	
	22	कराबेल	कराबेल	1465	10
			योगः—	1465	
	23	बंदना	बंदना	3327	11
			योगः—	3327	
	24	उडुमकेला	उडुमकेला	2484	11
			योगः—	2484	
	25	कतकालो	कतकालो	3676	12
			योगः—	3676	
	26	चैनपुर	चैनपुर	1134	12
			रजखेता	809	12
			योगः—	1943	
	27	पिडिया	पिडिया	1272	13
			योगः—	1272	
	28	पेंट	पेंट	1562	13
			कुनकुरी खुर्द	653	13
			योगः—	2215	
	29	कोटछाल	कोटछाल	1962	13
			योगः—	1962	

1	2	3	4	5	6
	30	खडगॉव	खडगॉव	1683	14
			योगः—	1683	
	31	चिडापारा	चिडापारा	1687	14
			योगः—	1687	
	32	राजापुर	राजापुर	1776	15
			योगः—	1776	
	33	सलाईनगर	सलाईनगर	1060	15
			योगः—	1060	
	34	डांगबुडा	डांगबुडा	2000	15
			योगः—	2000	
	35	जामढोढी	जामढोढी	1634	16
			योगः—	1634	
	36	हर्रामार	हर्रामार	1556	16
			योगः—	1556	
	37	जामकानी	जामकानी	1452	16
			योगः—	1452	
	38	महरानीपुर	महरानीपुर	979	14
			योगः—	979	
	39	कलजीवा (मालतीपुर)	कलजीवा (मालतीपुर)	819	6
			असकरा	636	7
			योगः—	1455	

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 28th April 2014

No. 368/Confdl./2014/II-2-90/2001 (Pt.III).—(A) Smt. Anita Jha, Member of Higher Judicial Service and presently posted as District & Sessions Judge, Surguja, (Ambikapur) is transferred and appointed as Director (C.S.J.A.) in the Establishment of the High Court from the date she assumes charge of her office.

(B) Shri R.C.S. Samant, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Director (C.S.J.A.) and In-Charge Selection & Appointment Cell is appointed as Registrar (Inspection & Enquiry) and In-Charge Selection & Appointment Cell in the Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office.

(C) Shri Ramashankar, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Deputy Secretary, Chhattisgarh Lok Ayog, Raipur is transferred and appointed as Additional Registrar (D.E.) in the Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office.

Bilaspur, the 28th April 2014

No. 370/Confdl./2014/II-2-1/2014.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, are hereby transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office and ;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judges of the Sessions Division mentioned in Column No. (5), from the date they assume charge of their office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Naresh Kumar Chandrawanshi, Additional Registrar (D. E.), High Court of Chhattisgarh.	Bilaspur	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	District & Sessions Judge.
2.	Shri Radhakishan Agrawal, Additional Secretary, Government of Chhattisgarh, Law & Legislative Affairs Department.	Raipur	Korba	Korba	District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 28th April 2014

No. 372/Confdl./2014/II-2-1/2014.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below. are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office(s) and ;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5), from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Rakesh Bihari Ghore, Special Judge under S. C. & S.T. (P.A.) Act.	Durg	Manendragarh	Koriya (Baikunthpur)	I Additional District & Sessions Judge.
2.	Shri Suresh Kumar Soni, President, District Consumer Disputes Redressal Forum.	Rajnandgaon	Janjgir	Janjgir-Champa	I Additional District & Sessions Judge.
3.	Shri Rajendra Pradhan, II Addl. District & Sessions Judge.	Manendragarh	Bilaspur	Bilaspur	I Additional District & Sessions Judge.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Shri Gokaran Singh Kunjam, Additional District & Session Judge.	Sarangarh	Manendragarh	Koriya (Baikunthpur)	II Additional District & Sessions Judge.
5.	Smt. Suman Ekka, Addl. District & Sessions Judge (F.T.C.).	Ambikapur	Raipur	Raipur	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.).
6.	Smt. Neeta Yadav, I Additional District & Sessions Judge.	Bilaspur	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.).
7.	Smt. Anita Dahariya, Additional District & Sessions Judge (F.T.C.).	Dantewara	Rajnandgaon	Rajnandgaon	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.).
8.	Shri Abdul Zahid Qureshi, I Additional District & Sessions Judge.	Baloda-Bazar	Katghora	Korba	Additional District & Sessions Judge.
9.	Smt. Pragya Pachouri, A.D.J. (F.T.C.)	Raipur	Bilaspur	Bilaspur	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.).
10.	Shri Alok Kumar, VII Additional District & Sessions Judge.	Raipur	Sarangarh	Raigarh	Additional District & Sessions Judge.
11.	Shri Uttara Kumar Kashyap, VI Additional District & Sessions Judge.	Bilaspur	Dhamtari	Dhamtari	Additional District & Sessions Judge.
12.	Shri Brijendra Kumar Shastri, VI Additional District & Sessions Judge.	Durg	Baloda-Bazar	Baloda-Bazar	I Additional District & Sessions Judge.
13.	Shri Chhameshwar Lal Patel, Presiding Officer, Wakf Tribunal.	Raipur	Bemetara	Bemetara	Additional District & Sessions Judge.
14.	Smt. Girija Devi Meravi, Additional District & Sessions Judge (F.T.C.).	Bilaspur	Durg	Durg	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.).
15.	Ku. Saroj Nand Das, I Additional District & Sessions Judge.	Janjgir-Champa	Khairagarh	Rajnandgaon	Additional District & Sessions Judge.
16,	Shri Mohd. Rizwan Khan, II Additional District & Sessions Judge.	Balod	Balod	Balod	I Additional District & Sessions Judge.
17.	Smt. Dhaneshwari Sidar, Additional District & Sessions Judge (F.T.C.).	Rajnandgaon	Dantewara	Dakshin Bastar (Dantewara)	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18.	Shri Sirajuddin Qureshi, Chairman, Permanent Lok Adalat.	Jagdalpur	Jagdalpur	Jagdalpur	III Additional District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 28th April 2014

No. 374/Confdl./2014/II-2-1/2014.—The following Senior Civil Judges, as specified in Column No. (2) of the table below, who have been promoted and appointed as District Judge (Entry Level) in officiating capacity by the State Government, are transferred from the place specified in Column No. (3) to the place specified in Column No. (4) and are posted in the capacity as specified in Column No. (6) from the date they assume charge of their office and;

The following Senior Civil Judges as specified in Column No. (2), are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division, mentioned in Column No. (5), from the date they assume charge of their office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Gopal Krishna Neelam, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Raigarh	Janjgir	Janjgir-Champa	III Additional District & Sessions Judge.
2.	Shri Praveen Kumar Pradhan, Civil Judge Class-I & C.J.M.	Bemetara	Baloda-Bazar	Baloda-Bazar	III Additional District & Sessions Judge.
3.	Shri Vinod Kumar Dewangan, II Civil Judge Class-I.	Korba	Raipur	Raipur	VI Additional District & Sessions Judge.
4.	Shri Daya Sindhu Ganveer, Civil Judge Class-I & C.J.M.	Mungeli	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	VI Additional District & Sessions Judge.
5.	Ku. Sanghpushpa Bhatpahari, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Dhamtari	Durg	Durg	VI Additional District & Sessions Judge.
6.	Ku. Ranju Rautrai, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Mahasamund	Bilaspur	Bilaspur	V Additional District & Sessions Judge.
7.	Shri Ramjivan Dewangan, Civil Judge Class-I & C.J.M.	Kondagaon	Baloda-Bazar	Baloda-Bazar	II Additional District & Sessions Judge.
8.	Shri Anand Ram Dhidhi, Civil Judge Class-I & C.J.M.	Bijapur	Bilaspur	Bilaspur	VII Additional District & Sessions Judge.
9.	Shri Gregory Tirkey, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Ambikapur	Ambikapur	Ambikapur	V Additional District & Sessions Judge.
10.	Shri Rishi Kumar Barman, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Kanker	Durg	Durg	II Additional District & Sessions Judge.
11.	Smt. Geeta Neware, Civil Judge Class-I & C.J.M.	Baloda-Bazar	Bilaspur	Bilaspur	II Additional District & Sessions Judge.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Smt. Prisilla Paul Horo, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Korba	Korba	Korba	II Additional District & Sessions Judge.
13.	Shri Prabodh Toppo, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Kawardha	Dantewara	Dantewara	Additional District & Sessions Judge.
14.	Shri Srinarayan Singh, Civil Judge Class-I & C.J.M.	Gariaband	Durg	Durg	IV Additional District & Sessions Judge.
15.	Shri Sheikh Ashraf, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Durg	Durg	Durg	III Additional District & Sessions Judge.
16.	Shri Liladhar Sarthi, Civil Judge Class-I & C.J.M.	Balrampur at Ramanujganj	Bilaspur	Bilaspur	VI Additional District & Sessions Judge.
17.	Shri Alok Kumar, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Raipur	Raipur	Raipur	II Additional District & Sessions Judge.
18.	Shri Omprakash Singh Chauhan, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur	IV Additional District & Sessions Judge.
19.	Smt. Sangeeta Naveen Tiwari VI Civil Judge Class-I & A.C.J.M.	Raipur	Raipur	Raipur	V Additional District & Sessions Judge.
20.	Smt. Leena Agrawal, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Rajnandgaon	Rajnandgaon	Rajnandgaon	I Additional District & Sessions Judge.
21.	Shri Pankaj Kumar Jain, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Jagdalpur	Jagdalpur	Jagdalpur	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.)
22.	Shri Pankaj Kumar Sinha, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Janjgir-Champa	Janjgir	Janjgir-Champa	II Additional District & Sessions Judge.
23.	Shri Harish Kumar Awasthi, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Surajpur	Surajpur	Surajpur	III Additional District & Sessions Judge.
24.	Smt. Shraddha Shukla Sharma, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Jashpur	Raipur	Raipur	VII Additional District & Sessions Judge.
25.	Smt. Madhu Tiwari, Civil Judge Class-I & C.J.M.	Balod	Balod	Balod	II Additional District & Sessions Judge.
26.	Smt. Garima Sharma, Civil Judge Class-I & A.C.J.M.	Khairagarh	Raigarh	Raigarh	II Additional District & Sessions Judge.
27.	Shri Yashwant Kumar Sarthi, Civil Judge Class-I & C.J.M.	Sukma	Durg	Durg	VII Additional District & Sessions Judge.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28.	Shri Rajendra Kumar Verma, Civil Judge Class-I & C.J.M.	Dantewara	Kawardha	Kabirdham (Kawardha)	Additional District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 16th May 2014

No. 407/Confdl./2014/II-3-1/2014.—The following members of Lower Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are appointed as Civil Judge Class-I-cum-chief Judicial Magistrate for the Revenue District mentioned in Column No. (5) in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their offices :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Rohit Singh Tanwar, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Baikunthpur	Narayanpur	Narayanpur	Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
2.	Shri Sanjay Kumar Soni, Civil Judge Class-I & C.J.M.	Narayanpur	Kawardha	Kabirdham (Kawardha)	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.

Bilaspur, the 16th May 2014

No. 408/Confdl./2014/II-3-1/2014.—The following members of Lower Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are appointed as Civil Judge Class-I-cum-chief Judicial Magistrate/Additional Chief Judicial Magistrate for the Revenue District mentioned in Column No. (5) in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their offices :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Manoj Kumar Prajapati, Secretary, District Legal Services Authority.	Raipur	Rajnandgaon	Rajnandgaon	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
2.	Shri Ajit Kumar Rajbhanu, Civil Judge Class-I.	Ambagarh-Chowki	Baloda-Bazar	Baloda-Bazar	Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
3.	Shri Yashwant Wasnikar, Secretary, District Legal Service Authority.	Kanker	Dhamtari	Dhamtari	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Smt. Kirti Lakra, I Addl. Judge to the Court of Civil Judge Class-I.	Surajpur	Surajpur	Surajpur	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
5.	Shri Niranjan Lal Chauhan, Civil Judge Class-I.	Pendraroad	Dantewara	Dakshin Bastar (Dantewara)	Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
6.	Smt. Usha Gendle, Secretary District Legal Services Authority.	Kawardha	Baikunthpur	Koriya (Baikunthpur)	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
7.	Smt. Swarnalata Toppo, II Civil Judge Class-I.	Durg	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
8.	Smt. Sunita Toppo, Secretary, District Legal Services Authority.	Bilaspur	Gariaband	Gariaband	Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
9.	Shri Purushottam Singh Markam, Civil Judge Class-I.	Kurud	Sukma	Sukma	Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
10.	Smt. Nidhi Sharma Tiwari, Secretary, District Legal Services Authority.	Jagdalpur	Jagdalpur	Bastar (Jagdalpur)	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
11.	Smt. Mamta Shukla, II Civil Judge Class-I.	Raipur	Janjgir-Champa	Janjgir-Champa	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
12.	Shri Vivek Kumar Tiwari (Sr.), Law Officer, Chhattisgarh Human Rights Commission.	Raipur	Raipur	Raipur	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
13.	Smt. Tajeshwari Dewi Dewangan, Secretary, District Legal Services Authority.	Mahasamund	Kanker	Uttar Bastar (Kanker)	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
14.	Shri Pankaj Sharma, Civil Judge Class-I.	Bhilai-3	Durg	Durg	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
15.	Shri Deepak Kumar Gupta, Secretary, District Legal Services Authority.	Janjgir-Champa	Kondagaon	Kondagaon	Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
16.	Shri Sunil Kumar Nande, I Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-I.	Ambikapur	Raigarh	Raigarh	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
17.	Shri Manoj Kumar Singh Thakur, Civil Judge Class-I.	Bhatapara	Ramanujganj	Balrampur	Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate, Balrampur at Ramanujganj.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18.	Smt. Mamta Patel, Secretary, District Legal Services Authority.	Raigarh	Mahasamund	Mahasamund	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
19.	Shri Ajay Singh Rajput, Secretary, District Legal Services Authority.	Jashpur	Jashpurnagar	Jashpur	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
20.	Smt. Heemanshu Jain, II Civil Judge Class-I.	Raigarh	Balod	Balod	Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
21.	Shri Anish Dubey, Civil Judge Class-I.	Kunkuri	Korba	Korba	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
22.	Shri Shahabuddin Qureshi, Civil Judge Class-I.	Saraipali	Mungeli	Mungeli	Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
23.	Shri Rakesh Kumar Verma, Civil Judge Class-I.	Sakti	Bemetara	Bemetara	Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
24.	Shri Vivek Kumar Tiwari (Jr.), Secretary, District Legal Services Authority.	Ambikapur	Bijapur	Bijapur	Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
25.	Shri Ashish Pathak, Deputy Secretary, State Legal Services Authority.	Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
26.	Shri Bhanu Pratap Singh Tyagi, Civil Judge Class-I.	Sarangarh	Khairagarh	Rajnandgaon	Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.
27.	Smt. Neeru Singh, IV Civil Judge Class-I.	Raipur	Raipur	Raipur	VI Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.

Note :— The above officers shall not be entitiled to the pay-scale mentioned in Rule 3 (2) (b) of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 unless they complete five years of continuous service as Civil Judge Class-I/Senior Civil Judge.

Bilaspur, the 16th May 2014

No. 410/Confdl./2014/II-3-1/2014.—The following member of Lower Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, is hereby transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and is posted in the capacity as mentioned in

Column No. (6) from the date she assumes charge of her office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Smt. Pratibha Verma, Secretary District Legal Services Authority.	Dhamtari	Kurud	Dhamtari	Civil Judge Class-I

Bilaspur, the 26th June 2014

No. 452/Confdl./2014/II-3-1/2014.—The following Civil Judges Class-II as mentioned in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their offices :—.

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Krishn Pal Singh Bhadauriya, Civil Judge Class-II.	Pandariya	Ambagarh-Chowki	Rajnandgaon	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Rajnandgaon at Ambagarh Chowki.
2.	Shri Anand Prakash Dixit, Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II.	Durg	Bhilai-3	Durg	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Durg at Bhilai-3.
3.	Ku. Chitralekha Sonwani, IV Civil Judge Class-II.	Bilaspur	Bhatapara	Baloda-Bazar	Additional Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Baloda-Bazar at Bhatapara.
4.	Shri Manish Kumar Dubey, VI Civil Judge Class-II.	Raipur	Saraipali	Mahasamund	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Mahasamund at Saraipali.
5.	Shri Awadh Kishore, XV Civil Judge Class-II.	Raipur	Kunkuri	Jashpur	Additional Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Jashpur at Kunkuri.
6.	Shri Vikram Pratap Chandra, Civil Judge Class-II.	Mungeli	Sarangarh	Raigarh	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raigarh at Sarangarh.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Smt. Shweta Shrivastava, Civil Judge Class-II.	Kawardha	Pandariya	Kabirdham (Kawardha)	Civil Judge Class-II.

Bilaspur, the 26th June 2014

No. 454/Confdl./2014/II-2-1/2014.—The following candidates, as mentioned in Column No. (2) of the table below, who have been appointed on probation as District Judge (Entry level) in the Cadre of Chhattisgarh Higher Judicial Service by the State Government, are posted at the place and in the capacity as shown against their names in Column No. (4) with a direction to join their place of posting positively within 15 days from the date of this Order.

The following candidates are also appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (3) from the date they assume charge of their office :—

TABLE

S. No. (1)	Name (2)	Sessions Division (3)	Posted as (4)
1.	Shri Sunil Kumar Jaiswal, S/o Shri R. B. Jaiswal, R/o Bajrang Chowk, Main Road, Baloda-Bazar, District-Balodabazar-Bhatapara (C.G.)	Bilaspur	VIII Additional District & Sessions Judge, Bilaspur.
2.	Smt. Vandana Deepak Dewangan, W/o Shri Deepak Dewangarn, H. No. 31/267, Near EVA Beauty Parlour, Adarsh Colony, District-Bilaspur (C.G.) Pin code-495001.	Durg	VIII Additional District & Sessions Judge, Durg.
3.	Shri Sanket Kumar Khanday, S/o Shri Mainejar Lal, 96, Gitanjali City-2, Police Station-Sarkanda, District-Bilaspur (C.G.)	Raipur	IX Additional District & Sessions Judge, Raipur.

Bilaspur, the 26th June 2014

No. 456/Confdl./2014/II-2-90/2001 (Pt.III).—Shri Hemant Kumar Agrawal, Member of Higher Judicial Service and presently posted as President, District Consumer Disputes Redressal Forum, Jagdalpur is transferred and appointed as Additional Director, Chhattisgarh State Judicial Academy, Bilaspur in the Establishment of the High Court from the dare he assumes charge of his office.

Bilaspur, the 26th June 2014

No. 4561/CSJA/2nd Part Ind-2013 Batch/2014.—The following newly appointed Civil Judges Class-II as specified in Column No. (2) presently posted at the places specified in Column No. (3) of the table below are directed to report in the Chhattisgarh State Judicial Academy (CSJA), Old High Court Building, Bilaspur on 02-07-2014 by 2.00 P.M. for undergoing the Second Part of Institutional Training Programme to be held from 2nd July 2014 to 30th July, 2014.

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	Posted as & at (3)
	Shri Pawan Kumar Agrawal	VI Civil Judge Class-II, Bilaspur

(1)	(2)	(3)
2.	Shri Pankaj Dixit	VX Civil Judge Class-II, Bilaspur
3.	Shri Mohd. Jahangir Tigala	III Civil Judge Class-II, Bilaspur
4.	Ku. Bushra Kamal	III Civil Judge Class-II, Ambikapur
5.	Smt. Ravinder Kaur	Civil Judge Class-II, Korba
6.	Shri Bhupat Singh Sahu	V Civil Judge Class-II, Ambikapur
7.	Ku. Sakshee Dixit	I Civil Judge Class-II, Raigarh
8.	Shri Sheelu Singh	II Civil Judge Class-II, Jagdalpur
9.	Ku. Namita Anne Minj	II Civil Judge Class-II, Durg
10.	Shri Mohit Singh	Civil Judge Class-II, Kanker
11.	Shri Sumit Kumar Harsyana	II Civil Judge Class-II, Dantewada
12.	Shri Sumit Kumar Soni	V Civil Judge Class-II, Jagdalpur
13.	Ku. Manisha Thakur	I Civil Judge Class-II, Bemetara
14.	Shri Shyam Kumar Sahu	VI Civil Judge Class-II, Jagdalpur
15.	Ku. Anita Pradhan	II Civil Judge Class-II, Balod
16.	Shri Mahesh Babu Sahu	I Civil Judge Class-II, Rajnandgaon
17.	Ku. Rajeshwari Suryawanshi	I Civil Judge Class-II, Surajpur
18.	Ku. Reshma Bairagi	I Civil Judge Class-II, Dhamtari
19.	Shri Satish Kumar Khakha	II Civil Judge Class-II, Mahasamund
20.	Shri Nixion Daved Lakra	II Civil Judge Class-II, Rajnandgaon
21.	Smt. Chandrakala Devi Sahu	II Civil Judge Class-II, Surajpur
22.	Shri Brijesh Rai	IV Civil Judge Class-II, Jagdalpur
23.	Shri Subodh Mishra	XII Civil Judge Class-II, Raipur
24.	Ms. Shubhda Goyal	III Civil Judge Class-II, Rajnandgaon
25.	Shri Jeetendra Pradhan	Civil Judge Class-II, Jashpurnagar
26.	Vyankatesh Singh	I Civil Judge Class-II, Bilaspur
27.	Shri Radheshyam Dhruw	VII Civil Judge Class-II, Bilaspur
28.	Ku. Sarojani Parmar	IV Civil Judge Class-II, Raipur
29.	Shri Rosemin Rajesh Xaxa	IV Civil Judge Class-II, Ambikapur
30.	Ku. Akanksha Bhardwaj	I Civil Judge Class-II, Ambikapur
31.	Shri Vijendra Sonwani	XIII Civil Judge Class-II, Raipur
32.	Shri Girish Kumar Mandavi	VIII Civil Judge Class-II, Bilaspur
33.	Shri Anand Borkar	VI Civil Judge Class-II, Durg
34.	Ku. Pratibha Markam	XIV Civil Judge Class-II, Raipur

The abovementioned Trainee Judges are also directed to observe the dress code with tie instead of band prescribed by the High Court during the training and to bring with them the following books :—

(A) Code of Civil Procedure
(B) Code of Criminal Procedure
(C) Evidence Act
(D) Limitation Act
(E) Indian Penal Code
(F) Rules & Orders-Civil & Criminal
(G) Stamp & Court Fees Act
(H) Arms Act
(I) C.G. Excise Act
(J) Legal Services Authority Act, 1987 (with C.G. Rules)
(K) Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000

By order of the Hon'ble Chief Justice,
ASHOK KUMAR PANDA, Registrar General.

Bilaspur, the 20th June 2014

No. 589/L.G./2014/II-2-3/2000.—Smt. Anuradha Khare, District & Sessions Judge, Mahasamund is hereby, granted earned leave for 10 days from 12-05-2014 to 21-05-2014 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 09-05-2014 till before the Court hours of 22-05-2014.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Khare, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 270 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 20th June 2014

No. 590/L.G./2014/II-2-05/2006.—Shri Ravishankar Sharma, District & Sessions Judge, Jashpur is hereby, granted earned leave for 05 days from 16-06-2014 to 20-06-2014 along with permission to remain out of headquarters during the said period.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sharma, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 253 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 20th June 2014

No. 591/L.G./2014/II-2-20/2005.—Shri M. P. Singhal, District & Sessions Judge, Uttar Bastar (Kanker) is hereby, granted earned leave for 05 days from 12-05-2014 to 16-05-2014 along with permission to leave headquarters from 10-05-2014 till 18-05-2014.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Singhal, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 266 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 20th June 2014

No. 592/L.G./2014/II-3-13/2008.—Shri Rajesh Kumar Shrivastava, the then Additional Registrar (Judicial), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 08 days from 08-05-2014 to 15-05-2014 along with permission to leave headquarters during the said period.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Shrivastava, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 288 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 20th June 2014

No. 593/L.G./2014/II-2-2/2009.—Shri P. K. Dave, the then District & Sessions Judge, Korba is hereby, granted earned leave for 04 days from 14-04-2014 to 17-04-2014 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 11-04-2014 till before the Court hours of 21-04-2014.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Dave, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 279 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 20th June 2014

No. 594/L.G./2014/II-2-11/2008.—Shri Anand Kumar Dhruw, Judge, Family Court, Korba is hereby, granted commuted leave for 12 days from 28-04-2014 to 09-05-2014 and suffix holidays of 10-05-2014 & 11-05-2014 (2nd Saturday & Sunday) and earned leave for 05 days from 14-06-2014 to 18-06-2014 in continuation of summer vacation from 02-06-2014 to 13-06-2014 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of commuted leave & earned leave as the case may be, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Dhruw, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 155 days of earned leave 266 days of half-pay-leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 20th June 2014

No. 595/L.G./2014/II-2-17/2006.—Shri A. L. Joshi, Judge, Family Court, Janjgir-Champa is hereby, granted earned leave for 03 days from 01-05-2014 to 03-05-2014 along with permission to remain out of headquarters from 01-05-2014 till 04-05-2014.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Joshi, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 293 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 27th June 2014

No. 602/L.G./2014/II-8-4/2010.—Smt. Rajni Dubey, District & Sessions Judge, Blaoda-Bazar, is hereby, granted eanred leave for 06 days from 08-06-2014 to 13-06-2014 in continuation of summer vacation along with permission to remain out of headquarters during the said period.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Dubey, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 82 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 27th June 2014

No. 603/L.G./2014/II-3-14/2008.—Shri K. L. Charyani, Additional Director, Chhattisgarh State Judicial Academy, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 03 days from 02-06-2014 to 04-06-2014 in continuation of summer vacation along with permission to leave headquarters from the evening of 17-05-2014 till the morning of 05-06-2014.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Charyani, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 188 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 27th June 2014

No. 604/L.G./2014/II-2-06/2007.—Shri Nirmal Minj, Judge, Family Court, Rajnandgaon is hereby, granted earned leave for 07 days from 12-05-2014 to 18-05-2014 with summer vacation along with permission to leave headquarters from the night of 09-05-2014 till the morning of 29-05-2014.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Minj, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 298 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 25th July 2014

No. 605/L.G./2014/II-02-04/2014.—Shri Sanjay Kumar Jaiswal, Special Judge under S.C. & S.T. (P.A.) Act, Raipur is hereby, granted earned leave for 05 days from 07-07-2014 to 11-07-2014 along with permission to remain out of headquarters from 07-07-2014 till 13-07-2014 and earned leave for 03 days from 16-07-2014 to 18-07-2014 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 15-07-2014 till before the Court hours of 21-07-2014.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Jaiswal, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 272 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 25th July 2014

No. 607/L.G./2014/II-2-07/2002.—Shri T. K. Jha, Judge, Family Court, Bastar (Jagdalpur) is hereby, granted commuted leave for 02 days on 04-07-2014 & 05-07-2014.

During the period of commuted leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Jha, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 604 days of half-pay-leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 25th July 2014

No. 608/L.G./2014/II-2-05/2006.—Shri Ravishankar Sharma, District & Sessions Judge, Jashpur is hereby, granted earned leave for 05 days from 14-07-2014 to 18-07-2014 along with permission to remain out of headquarters from 12-07-2014 till 20-07-2014.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sharma, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 268 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 25th July 2014

No. 609/L.G./2014/II-2-36/2004.—Shri Radhakishan Agrawal, District & Sessions Judge, Korba is hereby, granted earned leave for 08 days from 02-07-2014 to 09-07-2014 along with permission to remain out of headquarters from the evening of 01-07-2014 till 09-07-2014.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Agrawal, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 274 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 25th July 2014

No. 611/L.G./2014/II-3-18/2007.—Shri D. L. Katakwar, Judge, Family Court, Surguja at Ambikapur is hereby, granted eanred leave for 06 days from 30-06-2014 to 05-07-2014 along with permission to remain out of headquarters from 29-06-2014 to 06-07-2014.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Katakwar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 253 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
MANSOOR AHMED, Additional Registrar (ADMN).

बिलासपुर, दिनांक 24 जून 2014

क्रमांक 92/दो-2-13/2009.—श्री गौतम चौरड़िया, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग को उनके आवेदन पत्र दिनांक 22-05-2014 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2011 से 31-10-2013 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 24 जून 2014

क्रमांक 93/दो-2-11/2008.—श्री आनन्द कुमार ध्रुव, न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कोरबा (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 13-05-2014 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2011 से 31-10-2013 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए. एल. खुटेल, बजट अधिकारी.